

[Authoritative English text of this Department Order No. FDS-A (3)-9/2016 dated the 5th March, 2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

Government of Himachal Pradesh
Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department

No. FDS-A(3)-9/2016

Dated-Shimla-2, the

5th March , 2019

ORDER

WHEREAS the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary so to do for maintenance of supplies and securing equitable distribution and availability of some of the essential commodities at fair prices;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the Government of India formerly Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of food) Order GSR-800, dated 9th June, 1978 and Ministry of Industries and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-operation) Order S.O. 681(E), and 682(E) dated 30th November, 1974 and in pursuance of directions given in clause 9 of the Targeted Public Distribution (Control) Order, 2015 issued by the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution), New Delhi vide G.S.R. 213 (E) dated 20th March, 2015, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to make the following Order, namely:-

PART-I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement. - (1) This order may be called the Himachal Pradesh Specified Essential Commodities (Regulation of Distribution) Order, 2019.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions. - (1) In this order, unless the context otherwise requires.-

(a) “Act” means the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);

(b) “Authorized document” means a permit or an authorization issued under this order for purchase or sale or storage for sale or distribution of any specified essential commodity;

(c) “Authorized wholesaler” means the institutions (Registered with the Department), authorized to deal in the wholesale business of procurement, conversion and distribution of specified essential commodities allotted by the Government/ Department, meant to be distributed through Targeted Public Distribution System and also includes “sub-wholesaler” and Kerosene oil wholesalers;

(d) “Consumer” means a person drawing any specified essential commodity through fair price shops against Ration Card issued by the specified authority declared for the area concerned in which the consumer permanently or temporarily resides;

(e) “Controller” means, the District Controller, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs of the District concerned or any other officer/ official authorized by the Director to exercise all or any of the powers of the Controller under this Order;

(f) “Department” means the Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Himachal Pradesh;

(g) “Deputy Commissioner” means the Deputy Commissioner of the District concerned;

(h) “Director” means the Director of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Himachal Pradesh and shall also include the Additional/ Joint/Deputy Director of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs of Himachal Pradesh;

(i) “Fair Price Shop” means a shop authorized under the provisions of clause 3 of this order for sale/distribution of specified essential commodities to the Ration Card Holders under the Targeted Public Distribution System or otherwise like State subsidized scheme, Mid Day Meal and Wheat Based Nutritional Programme etc;

(j) “Fair Price Shop Holder” means a retailer authorized under the provisions of clause 3 of this order in respect of any specified essential commodity;

(k) “Family” means a joint family of all persons descended from common ancestor, who live, worship and mess together permanently as shown in the Pariwar Register of the Panchayat but persons residing elsewhere due to their profession / business shall not be included in the family for the purpose of issue of Ration card;

(l) “Form” means a Form appended to this Order;

(m) “Government” means the Government of Himachal Pradesh;

(n) “Household” means a family unit living together in one building or in a portion of the building having a common residence and maintaining a common Kitchen;

(o) “Institution” means a Hospital, a convalescent home, a sanatorium, an asylum, a school, a hostel providing meals and includes all other institutions of a like nature as may be specified by the Government;

(p) “Order” means the Himachal Pradesh Specified Essential Commodities (Regulation of Distribution) Order, 2019;

(q) “Public Distribution Committee” means a committee constituted by the Director, by notification, for the purpose of appointing or recommending to the Government, the names of any persons or body of persons or institutions to be a wholesaler or Fair Price Shop holder in respect of specified essential commodity;

(r) “Public Distribution System” means the system of distribution of Specified Essential Commodities to the Ration Card Holders on the rates and scales as specified by the Government from time to time through the network of fair price shops;

(s) “Quantum” means quantity of any specified essential commodity as fixed by the Director for sale/distribution against the ration card per month from time to time.

(t) “Ration Card” means a household ration card or other document issued or made monthly under or in pursuance of the provisions of this order for obtaining supplies of the specified essential commodities;

(u) “Ration Card Holder” means a person to whom a ration card has been issued;

(v) “Rural area” means any area or areas falling within the territorial jurisdiction of a Panchayat, but doesn’t include the areas falling within the any urban area;

(w) “Specified authority” means an authority which issues ration card to the consumers for obtaining supplies of specified essential commodities from the fair price shop;

Explanation-1 “In urban and cantonment areas, the Ration Card shall be issued by the Food & Supply Officer / Inspector, Food Civil Supplies and Consumer Affairs in their respective jurisdiction.

Explanation-2 In rural areas, the Ration Card shall be issued by the Secretary or Panchayat Sahayak of the concerned Gram Panchayat.

(x) “Specified Essential Commodity” means an essential commodity which the Director may, by notification published in the official Gazette, declare to be specified essential commodity for the purpose of this Order; and

(y) “Urban area” means an area administered by a Municipal Corporation or a Municipal Council or Municipal Committee or a Nagar Panchayat and Cantonment Boards in the State.

(2) The words and expressions used but not defined in this order shall have the same meaning as are assigned to them in the Essential Commodities Act, 1955, National Food Security Act, 2013 and Targeted Public distribution System (Control) Order, 2015.

3. Issue of authorization to wholesalers and fair price shop holders.— (1) With a view to regulate the distribution of any specified essential commodity, the Controller, with the approval of the Public Distribution Committee, may authorize any person or body of persons to be a wholesaler or a fair price shop holder as per the guidelines issued by the State Government/Director from time to time in this behalf for the purpose of this Order and, such wholesaler or fair price shop-holder, as the case may be, shall obtain and supply specified essential commodities in accordance with the provisions of this order or any other directions issued there under:

Provided that the authorization issued to the authorized wholesaler and fair price shop holder under the provisions of the Himachal Pradesh Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003 shall remain in force and shall be deemed to have been issued under this clause.

(2) Fair Price Shops shall not be allotted to following people:

- (a) Fair Price Shops shall not be allotted to more than one member of a joint family. Mother, Father, Son, Daughter, Wife and Brother with his family living jointly, shall be considered under the definition of joint family for the purpose of allotment of fair price shops.
- (b) Elected Pradhan/Up Pradhan/ Ward Member Gram Panchyat, Ward members of Block Panchyat Samiti / Zila Parishad/ Ward members of Nagar Panchyats, Councilors of Municipal Committee/Municipal Corporation, MLAs, MPs, and their family members till their tenure.
- (c) Flour Mill owner
- (d) Minor, Lunatic or unsound mind and un-discharged insolvent.
- (e) Applicant shall not be given Authorization if he/she is finally convicted under the Essential Commodities Act, 1955 (Act No. 10 of 1955).
- (f) If applicant holds the post of profit in the Government.

(3) Every application for an authorization shall be made to the Controller in Form ‘A’ giving therein the correct information as asked for therein alongwith such other information or documents as required.

(4) Every authorization issued under sub clause (1) shall be in Form “B’ in case of wholesaler and in Form ‘C’ in case of a fair price shop holder. A duplicate copy shall be retained by the Controller in his office and any alteration made in such authorization shall be duly recorded in it. The Controller shall record every authorization issued by him in a register prescribed by him.

(5) Subject to any general or specific direction issued by the Director in this behalf, every application for the issue of an authorization shall be considered giving due regard to,-

- (i) The need for authorized wholesaler or the fair price shop holder in the area or locality in which the business premises of the applicant are situated;
- (ii) The suitability and size of the premises for proper and safe storage and sale of specified Essential Commodities;
- (iii) The suitability of the applicant in view of his past record of dealing in essential commodities and other business, if any, being carried on by him or his near relations in the same premises or in the same area or locality or elsewhere in the State of Himachal Pradesh;
- (iv) The financial position and capacity of the applicant in performing the functions of a wholesaler or a fair price shop holder, as the case may be; and
- (v) Any other factor considered relevant for the grant of an authorization under this Order.

(6) Every person applying for an authorization shall, before such authorization is issued to him, deposit authorization fee specified below in the Government treasury under the appropriate head of account and also deposit the amount of security, as specified below, in shape of FDR duly pledged in favour of the Controller by designation, in the manner as may be specified by him:-

	<u>Security</u>	<u>Authorization fee per annum</u>
(i) Wholesaler	20,000.00	2500.00
(ii) fair price shop-holder	4,000.00	700.00

(7) Authorization shall be issued for a calendar year and would be valid upto 31st December of the year for which it has been issued.

(8) A separate authorization shall be necessary for each place of business. This would also be applicable in case of a branch/extension counter of a fair price shop.

(9) If any authorization is defaced, lost or otherwise destroyed, the Controller, may on application of the wholesaler or fair price shop holder, as the case may be, issue ,on receipt of a fee of Rs. 1500/- for wholesaler and Rs. 500/- for fair price shop holder duly deposited with Government treasury, a duplicate authorization.

(10) The Controller may, after making such inquiry as may be deemed necessary, whether at the request of the wholesaler or fair price shop holder or suo-motu, add, amend, alter or delete the

entries of the authorization relating to godown, place of business, area of operation and the name of parties etc.

(11) An application for renewal of authorization shall be submitted to the Controller before the expiry of the authorization alongwith the authorization renewal fee as specified in sub-clause (6):

Provided that the Controller may entertain an application upto 31st March, upon the payment of late fee as prescribed below:-

	<u>Wholesaler Sub-wholesaler</u>	<u>Retailer /Fair Price Shop Holder</u>
(i) For the first fortnight	100/-	50/-
(ii) For the second fortnight	150/-	75/-
(iii) For each subsequent fortnight	200/-	100/-

Provided further that if the authorization is not got renewed within 3 months after the expiry of the validity period i.e. upto 31st March of the year, the same shall stand cancelled and the security shall also stand forfeited to the Government. The cancellation of authorization and forfeiture of security in lieu of non-renewal of the authorization will not affect the right of wholesaler/fair price shop holder for revival of authorization after deposit of the usual authorization fee. However, authorization issued to a fair price shop holder /wholesaler shall stand cancelled, if the Fair Price Shop holder/ wholesaler fails to renew the authorization for more than two occasions:

Provided further that if the authorized wholesaler/ fair price shop holder discontinues his business during the validity of the authorization, he shall have to surrender his authorization to the Controller to claim the refund of the security deposits.

(12) The authorization may be renewed at a time up to 3 years on deposit of authorization fee specified in sub-clause (6).

Part-II

DISTRIBUTION AND SUPPLY OF SPECIFIED ESSENTIAL COMMODITIES

4. Supply by the Authorized wholesaler.- It will be obligatory on part of the authorized wholesaler to supply the specified essential commodities only to the fair price shop holder against his/her signature, duly attested by the Sub-Divisional Magistrate or Tehsildar/ Naib Tehsildar or Inspector (Food Civil Supplies & Consumer Affairs) within his jurisdiction or against a valid authorized document and in such quantity and at such prices as may be specified from time to time, by the Government or Director or Controller in this behalf under and in accordance with the provisions of this Order.

5. Instructions to Authorized wholesale.- (1) The authorized wholesaler shall maintain such forms and registers and submit such periodic returns and statements as may be required/asked for by the Director/Controller and comply with such general or special directions as may be issued by the Government or the Director or the Controller from time to time.

(2) The Authorized Wholesaler shall follow all the instructions mentioned in the Authorization issued to him/her.

(3) The authorized wholesaler shall not indulge in any kind of diversion and substitution of specified essential commodities.

6. Supply by Fair Price Shop holder.- No fair price shop holder shall sell or agree to sell or supply or agree to supply or cause to sell or supply specified essential commodities to any person except against the ration cards registered with him or against the authorized document issued by the competent authority concerned and except at such quantum and prices as may be specified from time to time by the Government or Director or Controller in this behalf in accordance with the provisions of this Order.

7. Instructions to the Fair Price Shop holder.- (1) A fair Price shop holder shall register ration cards issued by the concerned specified authority in whose jurisdiction the shop is located. He may, however, register cards of other areas, if specifically permitted to do so through an order by the Controller. However, he shall not register ration cards if the total number of units registered with him exceeds the maximum units if such ceiling is specified by the Controller in this behalf:

Provided that the Controller may by an order exempt any fair price shop from the restriction imposed under this clause.

(2) A fair price shop holder shall supply specified essential commodities only against the ration cards registered with him or against any authorized document issued by any authority under and in accordance with the provisions of this Order.

(3) The fair price shop holder shall supply, subject to its availability, specified essential commodities to a ration card holder as per scale and rates fixed by the Government from time to time. The fair price shop holder shall make correct and true entries at the appropriate space provided in the ration card to this effect.

(4) The fair price shop holder shall maintain a daily stock register in Form 'D' and shall also issue "Cash-Memo" prescribed by the Government or the Director or concerned Controller to the consumer in token of having issued the Specified essential commodities and obtain his signatures on the Cash-Memo. The counterfoil/ carbon copy/duplicate copy of such cash memo duly signed by the ration card holder shall invariably be retained by the fair price shop holder.

(5) The allocations made by the Central Government or by the State Government for distribution under the Targeted Public Distribution System shall not be diverted for any other purpose.

(6) The Director or the Controller shall prescribe the format of sale register, stock register and ration card register and proper system of monitoring of Fair Price Shops.

(7) The ration card holder shall be entitled to draw specified essential commodities from a Fair Price Shop as per his/her entitlement. It is not necessary for him/her to lift the entire quantity of specified essential commodity that he/she is entitled to in one go. However, if the Card holder fails to draw quota of specified essential commodities during the month for which entitlement is made, the same shall stand lapsed.

(8) On the basis of the ration cards registered with him, the fair price shop holder shall submit indent for supply of specified essential commodities in the manner specified by the Director/ Controller from time to time.

(9) A fair price shop holder shall be entitled to obtain supplies of specified essential commodities from the authorized wholesaler on the basis of authorized documents issued to him by the Controller or any other official not below the rank of Inspector, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs.

(10) A fair price shop shall maintain a Ration card registration register as per Form- 'E'. He shall maintain the registration of the ration cards on his register. He shall obtain the complete postal address, mobile phone, if available or fixed line number of ration card holder or his family members and shall also obtain his/her signature or thumb impression or signature or thumb impression of family members' in the space provided for this purpose. He may also obtain Aadhaar numbers and bank account numbers of the ration card holder and his family members. He shall put the serial number of registration on the ration card.

(11) The fair price shop holder shall maintain proper record of receipt, sale, opening and closing balances of specified essential commodities and registration of ration cards and other authorized documents separately for Above Poverty Level, Below Poverty Level, Antodaya Households and Priority Households as may be specified by the Controller from time to time.

(12) The fair price shop holder shall send a monthly statement of category wise and unit wise details of registered ration cards every month to the Controller.

(13) Every fair price shop holder shall keep such records relating to the authorized documents in such manner as may be prescribed by the Government or Director or the Controller from time to time.

(14) The fair price shop holder shall comply with all general or special directions given in writing from time to time by the Government or the Director or the Controller regarding purchase, sale, safe storage of specified essential commodities, and maintenance of accounts and submission of reports thereof.

(15) The fair price shop holder shall not keep any ration card in his possession irrespective of the fact whether such ration cards are registered with him or not.

(16) On the receipt of specified essential commodities, the Fair Price Shop holder shall provide the details regarding commodities so received and sold during the month to the Vigilance Committee.

(17) Fair Price Shop Holder shall sell specified essential commodities only to the card holder or any other members having their names in the ration card; but specified essential commodities entitled to him/her can be given to the person authorized by him/her, in case ration card holder and members are more than 60 years of age or a destitute.

(18) Fair Price Shop Holder shall display the samples of foodgrains being supplied under Targeted Public Distribution System at a conspicuous place;

8. *Suspension/ cancellation of authorization and forfeiture of Security.*- (1) The Controller within his jurisdiction, may, at any time whether:-

- i. on the request of the person to whom an authorization under this order has been issued;
- ii. on contravention or attempt to contravene any of the provisions of this order or directions issued thereunder from time to time in this behalf or any term or condition of the authorization or any directions issued thereunder, without prejudice to any other action, that may be taken against him;

may amend, suspend or cancel the authorization issued under clause-3 of this order, after making such enquiry, as may be necessary.

(2) Without prejudice to any action that may be taken under sub-clause (ii) in respect of contravention of any of the provisions of this order, the controller, within his jurisdiction, may forfeit the whole or part of the security deposited under sub-clause (6) of clause 3 of this order or, recover double the amount of differential cost between the market price and the Controlled price of diverted Specified essential commodities, if any, and thereupon the authorized wholesaler or the fair price shop holder, shall forthwith deposit, within the time frame, as specified by the Controller.

(3) The Controller shall recover cost of specified essential commodity equal to the issue price of such specified essential commodity, in case, it has been found in excess against the balances shown in the stock register during the course of inspection and such quantity, so found excess, shall also be taken into account in the stock register and also allotment of fair price shop the subsequent month shall be made accordingly.

(4) The Controller shall also recover the excess amount, if any, in lieu of the overcharging done by Fair Price Shop holder or Authorized Wholesaler in respect of any Specified essential commodity:

Provided that before passing any Order under sub-clause (1) or sub-clause (2), the Controller shall give a reasonable opportunity of being heard to the party concerned:

Provided further that where an enquiry is pending against authorized wholesaler or fair price shop holder, and it is considered necessary to suspend the authorization, the authority concerned, on satisfaction, shall suspend the authorization for the period not exceeding six months:

Provided further the suspension of authorization may exceed six months if the matter is pending in a court of Law.

(5) Where an authorized wholesaler or a fair price shop holder has been convicted by a court of law for the contravention of this Order or any other order issued under section 3 of the Act, the Controller shall, by order, in writing, cancel his authorization:

Provided that where such conviction is set aside in appeal or revision, the Controller, on an application by the person whose authorization has been cancelled, may re-issue the authorization to such person.

9. Termination of authorization: - (1) Notwithstanding anything contained in this Order, the Controller may, with the approval of the Public Distribution committee, at any time, terminate the authorization by giving one month's notice in writing to the person(s) to whom an authorization has been issued under this order and then the authorization shall cease to be effective upon expiry of the period of such notice.

(2) It shall be open to the person holding an authorization issued under this order to relinquish his authorization by giving one month's notice, in writing, to the Controller and then the authorization shall cease to be effective upon receipt of intimation, by such person from the Controller, of the termination of his authorization:

Provided that the liability of the person holding the authorization shall not cease until the stock of specified essential commodities and records of authorized documents have been taken from him by the person specified by the Controller.

PART-III

AUTHORIZED DOCUMENTS

10. Procedure for obtaining ration cards.- (1) The Ration card shall be issued in the name of eldest woman of the family above the age of 18 years and in case there is no woman above 18 years of age, ration card may be issued in the name of head of family till she attains age of 18 years in that family.

(2) Any Indian citizen or a person granted status of a refugee permanently residing or intending to reside permanently may apply to the concerned specified authority in Form 'F' for issue of a ration card. The Form 'F' shall be supplied by the specified authority to the person willing to obtain Ration card, free of cost.

(3) The specified authority shall make or cause to be made such enquiry, as it may deem fit, for verification of the information furnished by the applicant in form 'F' before issuing a ration card in Form "G":

Provided that no ration card may be issued unless the information furnished in Form 'F' by the applicant has been verified by the Secretary/Panchayat Sahayak of the Panchayat concerned on the basis of entries recorded in Pariwar Register in rural areas and; by the concerned Councilor/ward Member or Executive Officer or Secretary of the local body within their respective jurisdiction or by any officer/official authorized by the concerned Controller from time to time:

Provided further that if any person migrates from one place to another place and wishes to apply for Ration Card at new place of residence, in that case he/she has to produce a surrender/deletion certificate issued by the competent/specified authority of the area from where he/she has migrated. If the name of the members of the card holders is to be deleted in the same place or otherwise, the consent of such member in writing shall be mandatory:

Provided further that the ration card shall be issued by the specified authority to the applicant within 30 days positively from the date of submission of application, failing which the applicant may file an application to the concerned Sub-Divisional Officer (Civil) in rural areas and to the Distt. Controller, FCS&CA in urban areas for non-issuance of ration card and the concerned Sub-Divisional Officer (Civil) / Distt. Controller, FCS&CA, as the case may be, after verifying the facts within 15 days from the receipt of application, may direct the concerned specified authority to issue ration card as per the provisions of the order.

(4) Every person applying for ration card, shall deposit a fee of rupees twenty-five with the specified authority before such card is issued to him. The specified authority shall deposit the fee collected under this clause into the Government Treasury under the appropriate head of account:

Provided that the Antodaya Households and Priority Households selected under the Nation Food Security Act, 2013, shall be exempted from such Ration card fee.

(5) If an application for issuing a ration card is received by the specified authority from a person having no fixed or identifiable place of dwelling, a temporary ration card in form-G/1 may be issued in his favour after proper verification as per clause 3, on receipt of fee as specified in sub-clause (4). Such card shall be stamped with the word 'Temporary' and shall be valid only for the drawl of kerosene oil from the fair price shop near to the place where such person temporarily resides. Such ration cards may be issued for a period not exceeding six months at a time. Temporary ration cards may be issued to the migratory for a period not exceeding three months at a time in the similar manner.

(6) If a ration card has been lost, defaced or damaged, the holder thereof may apply to the specified authority for duplicate ration card and such application shall be accompanied by double of the fee as specified in sub-clause (4). The specified authority may, after making such enquiry as it deem fit, issue a duplicate ration card.

(7) In the case of death of any member of the family entered in the ration card, the holder of the ration card or any other member of his family shall inform in writing to the specified authority in which he is residing and shall present the ration card before it along-with death certificate for deletion of the name of such person from the ration card. No ration card holder shall draw or obtain or cause to be drawn or obtained any specified article in respect of such a person

irrespective of the fact whether or not the name of such person has been deleted from his ration card:

Provided that in case of the death of the ration card holder, the specified authority shall issue a fresh card after charging the fee as specified in sub-clause (4).

(8) Except as otherwise provided in this order, the ration card shall be valid for a maximum period of five years.

(9) In the case of change in address, an application for amendment shall be made to the specified authority, which, after its satisfaction, shall make such amendment in the ration card.

(10) The specified authority shall maintain a register in Form 'H' showing the name and address of ration card holder and his/her family members. It shall also maintain proper account of the fee or other payments received in compliance of the provisions of this Order.

(11) No person shall obtain or attempt to obtain a ration card, by furnishing information which he knows or has reason to believe to be false or, if he is already in possession of such card or if some other person is in possession of ration card on his behalf or if name of any member of his family is included in another ration card.

(12) No ration card holder shall keep or allow keeping his ration card with the fair price shop holder.

(13) No ration card holder or any other person on his behalf shall contravene any of the provisions of this order or conditions of the ration card. Otherwise, without prejudice to any other action that may be taken against him/her, ration card issued to him/her shall be suspended or cancelled by an order in writing by the concerned Controller:

Provided that no such order shall be made unless the Card holder has been given an opportunity of being heard.

(14) No person, other than those, who have obtained specified essential commodities from the fair price shop against any of the authorized documents in accordance with the provisions of this Order, shall possess or store or hold any specified article.

(15) No person, firm, association or printing press etc., shall make or cause to be made or cause to be printed prescribed Form of ration card without an order, in writing from the Director, and every Form of the ration card, so printed, shall be numbered consecutively in accordance with his directions.

(16) The specified authority in relation to rural area or urban area shall obtain printed application Forms and ration cards from the Controller on payment of the cost of such forms and ration cards as specified in this clause. Out of the fee cost of the Ration card so realized, 50% shall be reimbursed to Panchayat as service charges for preparation of the ration cards.

11. Procedure for obtaining supplies against Ration cards.- The ration card holder may register himself/ herself with any of the fair price shop functioning in the concerned locality for obtaining supplies of specified essential commodities against such card:

Provided that the Controller, where deemed necessary, for proper functioning of the Targeted Public Distribution System, may, by an order, direct any ration card holder to register himself/ herself with any particular fair price shop within his area.

12. Power to issue authorized documents.- (1) With a view to regulate the distribution of any specified essential commodity(ies), the Controller, may issue or cause to be issued authorized document to any person(s) or institution or to the public in general:

Provided that no such document shall be issued to a person unless such person or any adult member of his family, signs or affixes his mark or thumb impression in token of receipt of such document as required by the officer delivering such documents.

(2) The Controller may at any time whether on the request of the Person to whom an authorized document has been issued or suo-motu add, amend, change/ alter, suspend or cancel such authorized document after making such enquiry, as may be deemed necessary. Where any such document is suspended or cancelled, the person in possession of such document shall, forthwith, deliver the same to the Controller or an officer authorized by him in this behalf.

(3) Subject to any directions issued in this behalf by the Government or the Director or the Controller or any other officer authorized by the Director, may issue special permits for issue of any of the specified essential commodity(ies) under this Order to any person(s) who do not reside or intend to reside permanently in the area concerned for obtaining supply of any such commodity(ies) for such period and for such quantity and from such source as may be specified therein.

13. Validity of authorized documents.- (1) No person shall transfer any authorized document issued to him/ her under the provisions of this order or any specified essential commodity(ies) obtained against any such authorized document without prior written permission of the Director or the Controller or any other Officer authorized by the Government .

(2) Every authorized document issued under this order shall be the property of the Government and the person to whom it is issued shall be responsible for its safe custody.

(3) When any person is in possession of an authorized document in contravention of this order, he shall forthwith deliver the same to the specified authority concerned.

(4) No person without lawful authority shall alter any entry in the authorized document. If the holder of authorized document finds that some other person without lawful authority has made an alteration in the authorized document affecting its validity or the quantity or the kind of specified essential commodity obtainable on it, the holder of such document, shall forthwith report the fact to the specified authority concerned in writing.

(5) Where any authorized document is required to be cancelled under or for the purpose of this order, it shall be cancelled forthwith by the specified authority and it shall cease to operate forthwith.

PART-IV MISCELLANEOUS

14. Power to call for information and records.- Every authorized wholesaler or fair price shop holder, as the case may be, when so required by general or special directions by the Controller in this behalf shall:-

- (a) deliver to him all the authorized documents and other records surrendered or given to him under or for the purpose of this order; and
- (b) furnish such particulars, accounts and information relating to his dealings in and stocks of specified essential commodities as may be required.

Explanations.- For the purpose of this clause an authorized wholesaler or fair price shop holder includes a dealer whose authorization has been suspended or cancelled.

15. Power to authorized supply and distribution of specified essential commodities other than by means of authorized documents.-

(1) Notwithstanding any other provisions of this order, the Government may authorize the supply or disposal of any specified article otherwise than on the authorized documents.

(2) The Director shall have all the powers of the Controller in addition to the power specified in this order.

16. Exemption.- The Government may, by General or Special order and subject to such conditions or restrictions as may be specified in such order, exempt any person(s) or any institution from the operation of all or any of the provisions of this order and may, at any time, suspend or rescind any such exemption.

17. Appeal. - (1) any person aggrieved by an order, made by the Controller or specified authority may appeal within thirty days from the receipt of the orders to.-

- (i) The Director, where the order has been passed by the Controller or specified authority;
- (ii) The Secretary (Food, Civil Supplies & Consumer Affairs) to the Government of Himachal Pradesh where the order has been passed by the Director:

Provided that the appellate authority, for reasons to be recorded in writing may entertain an appeal after expiry of thirty days, if it is satisfied that the appellant was prevented from filing the same within the stipulated period of thirty days for the reasons explained in the application which were beyond the control of the appellant.

(2) Every appeal shall be filed in duplicate and shall be supported by an attested copy of the order appealed against.

(3) No appeal shall be disposed of unless the aggrieved person has been given a reasonable opportunity of being heard.

(4) Pending disposal of an appeal, the Appellate Authority may direct that the order made under appeal shall not take effect for such period as the authority may consider necessary for giving a reasonable opportunity to the other party under sub-clause (3) or until appeal is disposed of, whichever is earlier.

18. Revision.- (1) The Director may suo-motu or on an application, call for the record relating to case decided by the Controller or specified authority under the provisions of this order and if he is satisfied that the Controller or specified authority:-

- (i) has exercised the jurisdiction not vested in him or it; or
 - (ii) has exercised the jurisdiction vested in him or it, with material irregularity; or
 - (iii) has failed to exercise the jurisdiction vested in him; or it;
- may pass such order as he thinks fit.

(2) No order shall be passed under this clause which adversely affects any person unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.

19. Power to enter and inspect premises, require information, check accounts and seize articles etc.- (1) The Director or Deputy Commissioner or the Controller or any Magistrate or any Officer of the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department not below the rank of Inspector or any other Officer, if specifically authorized by the Director in this behalf, within his jurisdiction, may, in order to secure the compliance of this order or to satisfy himself that this order has been complied with and with such assistance as deems fit, may,-

- (a) inspect stocks of specified essential commodities, books, accounts or other documents pertaining to specified essential commodities and for the purpose of such inspection, enter and, if necessary, break- open or seal any premises used or believe to be used for the sale or distribution or storage of any specified essential commodity;
- (b) direct any person(s) to make any statement or furnish any information or produce any document or commodity in his possession or under his control relating to the purchase, sale, distribution or storage of any specified essential commodity any person so required shall comply with such directions;
- (c) direct any person to render any account or to produce books, account or other documents relating to or believed to be relating to the purchase, sale, distribution or storage of any specified essential commodities/article and any person so required shall comply with such directions;
- (d) seize any books of accounts and documents, which in his opinion, may be useful for or relevant to, any proceedings under this order and the person from whose custody such books of accounts or documents are seized shall be entitled to make copies thereof or to take extracts there-from in the presence of any officer having the custody of such books of accounts or documents;

- (e) test or cause to be tested the correctness of any weights and Measures used or believed to be used in any transaction relating to the sale or distribution of any specified essential commodities;
- (f) take or cause to be taken the Weight of all or any of the specified essential commodity found in any such premises;
- (g) take or cause to be taken samples of specified essential commodities kept for sale for comparing with the approved samples of such specified essential commodities authorized for sale or for analysis;
- (h) require the owner, occupier or the person in charge of any place, premises, vehicle or vessel or animal in which he has a reason to believe that any contravention of the provisions of this order has been or is being or is about to be made, to produce any books of accounts or documents showing transactions relating to such contravention; and
- (i) search, seize and remove stocks of specified essential commodities along with the package, covering or receptacles in which such stock is found, if he has reasons to believe that any provisions of this order has been or is being or is about to be contravened in respect of such stock any part thereof and may also search, seize and remove the animals, vehicles vessels or other conveyance used in carrying the said specified article in contravention of the provisions of this order;

(2) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall so far as may be apply to search and seizure under this clause.

(3) The powers exercisable under this clause shall not be exercised except for the purpose of securing compliance of the provisions of this order.

20. Repeal.- The Himachal Pradesh Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003 is hereby repealed.

‘FORM-A’
[See Clause-3(3)]

**THE HIMACHAL PRADESH SPECIFIED ESSENTIAL COMMODITIES
(REGULATION OF DISTRIBUTION) ORDER, 2019**

To

The District Controller, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs,

.....

Sir,

I / We, hereby apply for the grant of authorization for being appointed as a Wholesaler/Fair Price Shop- holder under the aforesaid Order. The requisite particulars are given hereunder:-

1. Full name of the applicant :
2. Father / Husband's name :
3. Date of Birth:
4. Educational Qualifications (Attach Certificates):
5. Category SC/ST/OBC/IRDP (Attach Certificates):
6. Complete residential address of the applicant
Including Ward and Panchayat:
7. Capacity in which applying (Attach Certificate):
 - Ekal nari
 - Widow raising children on her own
 - Mahila Mandal
 - Co-operative of women or other collective of women
 - Physically handicapped person
 - Ex-serviceman/ Unemployed educated youth with no family member in regular employment
 - Gram Panchayat
 - Co-operative Society
8. Complete address of the business premises including size (enclose site plan):-
State whether owned or hired (Attach proof).
9. Complete address of the godown (s) with storage capacity. (enclose site plan):-
(State whether owned or hired (attach proof).

10. In case of co-operative society / company / firm, state the names and address of all the Office Bearers/ Directors / Partners:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
11. Whether the firm or the applicant or any one of the partners have any share in any flour mill/chakki or any Fair Price Shop or wholesale functioning in the State of Himachal Pradesh. If so, give full particulars of such chakki, Fair Price Shop or Wholesaler.
12. Whether the applicant of the firm or any of the partners are running any business in essential commodities in the locality for which authorization is applied for, if so, give complete name and address of the store along with commodities being dealt therein.
13. Whether the applicant or the firm or any of its partners has previously been running a fair price shop or working as a wholesaler ?
If so, give full details thereof and reason of its closure.
14. Whether the applicant or the firm or any of its partners is holding any license issued under the Essential Commodities Act, 1955 or Orders issued thereunder. If so, give full details thereof.
15. Whether the applicant or the firm or any of its partners have ever been convicted of any offence under Essential Commodities Act, 1955, if so, give full details.
16. Whether any case or legal proceedings or Prosecution under the Essential Commodities Act, 1955 and order issued thereunder is pending in the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Department or in the court against the applicant or the firm.
If so, No. and date of F.I.R. and police station where registered alongwith brief particulars of the charges and present stage of the proceedings be given.
17. Whether the applicant or the firm has ever

been declared as insolvent by the competent court or as defaulter by any bank and whether he/or it is financially capable of running the business for which authorization is applied for without the aid and assistance of any third party. Brief description of liabilities and assets including Bank Accounts/ Deposits etc. be mentioned.

18. Declaration:

- (a) I, the above named applicant, do hereby declare that I am competent/ authorized to apply for grant of authorization in my individual capacity or authorized representative of the firm/ co-operative society;
- (b) I, hereby, further declare that the particulars against item No. 1 to 19 are correct and true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein and that in the event of mis-statement of facts proved subsequently, I undertake to abide by the orders/ directions passed by the competent authority under the order aforesaid;
- (c) I have carefully read the provisions of the Himachal Pradesh Specified essential commodities (Regulation of Distribution) Order, 2017 and I agree to abide by them if granted the authorization applied for;
- (d) I, further, undertake that I shall not deal in such essential commodities of the open market if authorized to deal in the aforesaid specified essential commodities.

Dated
Place.....

Signature of the applicant.

‘FORM-B’

AUTHORIZATION FOR WHOLESALER

[See clause-3(4)]

AUTHORIZATION No..... (Non Transferable).

1. Subject to the provisions of the Himachal Pradesh Specified Essential Commodities (Regulation of Distribution) Order, 2019 and to the terms and conditions of this authorization, (Name and full address of applicant)
is / are, hereby, appointed as an authorized wholesaler in pursuance of the provisions of clause 3 of the aforesaid Order.

2. (a) The wholesaler shall carry on the business at the following place:-

.....
.....

(b) Particulars of godowns:

.....
.....

(c) Name of the specified essential commodities in which the wholesaler is authorized to deal in;

3. The wholesaler shall not supply or offer or attempt to supply or cause to be supplied any specified essential commodity to any person other than a person who is a fair price shop holder or against a permit issued and except at such prices and in such quantum as may, from time to time, be specified by the Government or the Director or the Controller in this behalf and except under and in accordance with the provisions made by or under this order.

4. (i) The wholesaler shall maintain a daily stock register in ‘Annexure-I’ showing therein the true and correct account of the purchases and sales of each of the specified essential commodities and shall also maintain a daily sale register in ‘Annexure-II.

(ii) The wholesaler shall issue weight check memo to the fair price shop holder for each transaction.

- (iii) The wholesaler shall complete his accounts for each day on the day to which they relate unless prevented by sufficient cause, to the satisfaction of the authority inspecting the accounts.
 - (iv) The wholesaler shall take or arrange to take or cause to be taken the deliveries of the specified essential commodities from the sources as indicated by the Government or the Director or the Controller within the specified period.
 - (v) The Roller Flour Mills / Wheat Atta Chhakies shall be liable to return 100% Public Distribution System Wheat Atta to the HP State Civil Supplies Corporation against the allotted Targeted Public Distribution System wheat by the 20th of the allocation month.
- 5.** The wholesaler shall submit monthly return in 'Annexure-III' to the Controller or any other person authorized by him so as to reach him by the 7th of each month containing the information relating to the preceding month.
- 6.** The wholesaler shall not contravene the provisions of this order or any other law relating to the specified essential commodities for the time being in force.
- 7.** The wholesaler shall display the wholesale prices and stocks position of the specified essential commodities in bold letters at a conspicuous place of his business premises and shall not charge price more than that fixed under any law for the time being in force.
- 8.** Every wholesaler shall maintain proper record of purchase, receipt and distribution / sale of specified essential commodities and shall retain the same upto ten years in normal course or in case if any dispute is pending in the court / Department, then till the final verdict / decision of the court / department.
- 9.** The wholesaler shall comply with the instructions which may be given to him by the Government or Director or the Controller with regard to the language to be used in maintaining the accounts or record and the authorization of the registers maintained by him.
- 10.** The wholesaler shall issue to every fair price shop holder correct receipt or invoice giving his own name and address, the name and address of the fair price shop holder date of transaction, quantity sold, rate and the total amount charged; and shall keep a duplicate copy thereof to be made available for inspection on demand of the inspecting officer authorized in this behalf.
- 11.** The wholesaler shall be responsible for the safety of the specified essential commodities and for the safe custody of account books and record relating thereto. He shall take adequate measures to ensure that specified essential commodities stored by him are kept in countable forms and these do not get spoiled or damaged due to ground moisture, rains, insects, rodents and birds etc. He shall also ensure that fertilizers, insecticides and poisonous chemicals likely to contaminate such specified essential commodities are not to be stored along with these specified

essential commodities in the same godown or in immediate juxtaposition to the stocks of the specified essential commodities.

12. The wholesaler shall extend all facilities at all the reasonable time to the inspecting officer/official for the inspection of his stocks and accounts at his place of business and godown used by him for sale or storage for sale or any specified essential commodities.

13. The authorization shall be displayed at a conspicuous place/ office by the authorized wholesaler and shall be produced for inspection, when required.

14. The wholesaler shall be responsible for carrying out the purchase, storage and the sale of specified essential commodities efficiently and promptly in a business like manner and in accordance with the directions issued in this behalf from time to time.

15. The wholesaler shall not store any specified essential commodities outside the authorized premises without prior permission in writing from the Controller.

16. The wholesaler shall promptly (but within twenty four hours of the event) inform in writing to the Controller in case any specified article stored by him or in transit is damaged or destroyed by accident (in transit or otherwise) fire, flood and other natural calamities or lost in theft.

17. The wholesaler shall not sell any specified essential commodity, not conforming to the standards prescribed under the Food Safety and Standard Act, 2006 or any other law for the time being in force.

18. It will be the responsibility of Authorized Wholesaler to renew the authorization well within time.

19. Any sum due from the wholesaler shall be recoverable as arrear of land revenue.

Place

Signature and Stamp of the Controller.

Dated.....

AUTHORIZATION FOR FAIR PRICE SHOP HOLDER

[See clause-3(4)]

THE HIMACHAL PRADESH SPECIFIED ESSENTIAL COMMODITIES (REGULATION OF DISTRIBUTION) ORDER, 2019

AUTHORIZATION No..... (Non Transferable).

1. Subject to the provisions of the Himachal Pradesh Specified essential commodities (Regulation of Distribution) Order, 2019 and to the terms and conditions of this authorization, (Name and full address of applicant)

.....
is / are hereby appointed as an authorized fair price shop holder in pursuance of the provisions of clause 3 of the aforesaid Order.

2. (a) Place of Business.....
.....

(b) Area to be covered
.....
.....

(c) Particulars of godowns.....
.....

(d) Name of the specified essential commodities in which the fair price shop holder is authorized to deal in:.....

3. The fair price shop holder shall not sell or agree to sell or supply or agree to supply or cause to be sold or supplied specified essential commodities to any person except against the ration card registered with him or against any other authorized document and except at such prices and in such quantum as may be specified in this behalf from time to time and except under provisions made by or under this order.

4. The fair price shop holder shall register the ration cards issued by the specified authority in the jurisdiction in which the shop is located in Form 'E' appended to this Order.

- 5.** The fair price shop holder shall register ration cards of other areas if required to do so by the Controller.
- 6.** The fair price shop holder shall maintain a daily stock register for each of the specified essential commodities in 'Form- 'D'.
- 7.** The fair price shop holder shall complete his accounts for each day on the day to which they relate unless prevented by sufficient cause to the satisfaction of the inspecting staff.
- 8.** The fair price shop holder shall submit a monthly return in Annexure-III to the Controller or any other Officer authorized by him so as to reach him by the 7th of each month containing the information relating to the preceding month.
- 9.** The fair price shop holder shall comply with any instruction which may be given to him by the Government or the Director or the Controller, in regard to the language to be used in maintaining the accounts or record and the authentication of the registers maintained by him.
- 10.** The fair price shop holder shall display the prices and stocks position of the specified essential commodities in bold letters at a conspicuous place of his business premises and shall not charge price higher than the price fixed under any law for the time being in force.
- 11.** Every fair price shop holder shall maintain proper record of purchase, receipt and distribution/ sale of specified essential commodities and shall retain such record upto ten years in normal course or in case if any dispute is pending in the court / Department then, till the final verdict / decision of the court / department.
- 12.** The fair price shop holder shall extend all facilities, at all reasonable time, for the inspection of his stocks and accounts at his place of business and godown.
- 13.** The fair price shop holder shall take or arrange to take or cause to be taken the delivery of the specified essential commodities from the wholesaler within the period as specified by the Controller.
- 14.** The fair price shop holder shall not contravene the provisions of any other law relating to the essential commodities for the time being in force.
- 15.** The fair price shop holder shall be responsible for the safety of the specified essential commodities and for the safe custody of account books and record relating thereto. He shall take adequate measures to ensure that specified essential commodities stored by him are kept in countable form and are not spoiled or damaged due to ground moisture, rains, insects, rodents and birds etc. He shall also ensure that fertilizers, insecticides and poisonous chemicals likely to contaminate such specified essential commodities are not stored along with these specified essential commodities in the same godown or in immediate juxtaposition to the stocks of the specified essential commodities.
- 16.** The fair price shop holder shall maintain an inspection book which is to be made available to the inspecting staff when required and also a complaint book for inviting objections / suggestions from the ration card holders.

17. The authorization shall be displayed at a conspicuous place in the business premises by the fair price shop holder and shall be produced for inspection when required.
18. The fair price shop holder shall be responsible for carrying out the purchase, storage and the sale of specified essential commodities efficiently and promptly in a business like manner and in accordance with the directions and instructions issued in this behalf from time to time.
19. The fair price shop holder shall not store any specified essential commodities outside the authorized premises without prior permission in writing from the Controller.
20. The fair price shop holder shall promptly inform in writing to the Controller in case any specified article stored by him is damaged or destroyed by accident, fire, flood and other natural calamities or by theft.
21. The fair price shop holder shall observe the prescribed working hours and the shop shall not be kept close during working hours without the prior permission in writing from the Controller or any other Officer authorized by him.
22. The fair price shop holder shall not deal in any article of the open market which is declared to be a specified essential commodities under the Himachal Pradesh Specified essential commodities (Regulation of Distribution) Order, 2019.
23. The fair price shop holder shall supply specified essential commodities only against valid and authorized document issued under the said Order.
24. It will be the responsibility of Fair Price Shop Holder to renew the authorization well within time.
25. Any sum due from fair price shop holder shall be recoverable as arrear of land revenue.

Place

Signature and Stamp of the Controller.

Dated.....

‘FORM-D’

[See clause-7(4)]

DAILY SALE STOCK REGISTER TO BE MAINTAINED BY THE FAIR PRICE SHOP
HOLDER

**THE HIMACHAL PRADESH SPECIFIED ESSENTIAL COMMODITIES
(REGULATION OF DISTRIBUTION) ORDER, 2019**

Date	Name of Specified articles	Opening Balance	Quantity Recived	Total	Quanity Sold	Closing Balance	Remarks if any
1	2	3	4	5	6	7	8

[See clause-7(10)]

RATION CARD REGISTRATION REGISTER TO BE MAINTAINED BY THE FAIR PRICE SHOP HOLDERS

THE HIMACHAL PRADESH SPECIFIED ESSENTIAL COMMODITIES (REGULATION OF DISTRIBUTION) ORDER, 2019

Date of Registration	Registration No. allotted by fair price shop	Name of Consumer card holder	Complete address	No. of Consumer Card allotted by the specified authority
1	2	3	4	5

<u>No. of Units</u>			Signature of the Ration card holder	Status of LPG DBC/SBC/NO LPG (Please tick)	Remarks, if any
Adult	Children	Total			
6	7	8	9	10	11

Sl. No.....

DEPARTMENT OF FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

‘FORM-‘F’

[See clause-10(2)]

Application for Ration Card

Sl. No.

Date.....

1. Particulars/ Nature of Ration Card:

i) New ii) Duplicate iii) Replacement iv) Surrender v) Addition vi) Deletion of Member vii) Change of Address viii) New A/c. of member with address verification.

i) Panchayat / Town Ward No. (in case of Town) Block District

ii) a) Name of Head of Family (in Block letters)

b) Father/ Husband Name _____

2. Date & reason of arrival in the distribution area _____

3. Total Monthly income of family from all sources _____

(including allowances for employees of the Govt. / Semi-Govt. department/Corporation/Boards etc.

4. Nationality

a) Indian b) Tibetan

5. a) Complete Address on which Ration card is required

i) _____

Pin Code

ii) Address in case of change of address)

b) Office address & designation (in case of employee)

6. Status of Residence

a) Own (attach copy of electricity bill) b) Government Area/Rented (attach copy of electricity bill/ allotment letter)

7. LPG connection: Yes/ No

(if available) Consumer No _____ DBC/SBC: (Please tick)

Company: IOCL/HPCL/BPCL _____

8. Bank detail of Head of family (or any other family members)

i) Bank Name _____ ii) Branch Name _____

iii) Saving A/c. No. _____ iv) IFSC Code _____

9. Particulars of family members to be added for which
Ration card is required:-

Sr. No.	Name of family members	Relations -hip with Head of family	Occupat -ion	Date of Birth	Place & Date from where came with date of arrival	Aadhar No.	Mobile No.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

10. I do hereby solemnly affirm and declare as per the provisions of Section 199 & 201 of IPC that:-

- The information given in this form is true.
- None of above persons are entered in any other Ration card in India.
- None of the persons mentioned above are in receipt of the ration from Army/ para military forces.

- d) None of above are residing abroad.
- e) None of my above mentioned sisters/daughters are married nor residing with me after marriage
- f) None of the persons mentioned are in receipt of regular diet from any Hostel/ Boarding House and their names are also not entered in the Ration cards issued for the Boarding/ Hostel.
- g) In case of any death / birth in the family, the names will be intimated within one month.

**Signature / Thumb impression
of the applicant with date.**

11. The applicant is the head of the family and I know him/her personally. I hereby certify that the information given above is correct.

**Signature of the Certifying /
attesting Officer alongwith designation and seal**

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE APPLICATION

- i) The application should be filled in neatly while applying for a Ration card.
- ii) The persons coming from other state/ city / town/ village should attach cancellation / surrender / deletion / migration certificate issued by the previous card issuing authority.
- iii) If the applicant is a Government servant, he should get the application certified by the Head of the Office. If the person is not a Government servant, he should get his application Attested by a Councilor / Ward Member or Executive Officer or Secretary of local body of the area or a Gazetted Officer in the Town or any other class of Persons specially or generally authorized by the Government.\
- iv) In case of Tibetan, form should be verified by Tibetan Welfare Society or Tibetan Settlement Officer.

FOR OFFICE USE ONLY

Enquiry report of the officer/ official:-

Enquiry was conducted on the address given by the applicant in **para-7** today and the facts mentioned in the application form have been found to be correct.

Adults	Children	Infants	Total members

Signature of the Enquiry Officer with seal
(Inspector, Food, Civil Supplies & Consumer
Affairs/Secretary, Gram Panchayat)

Code No. of the Ration Card_____ Serial No. _____

Dated_____ Signature of Ration Card preparing Officer/ Official

**THE HIMACHAL PRADESH SPECIFIED ESSENTIAL COMMODITIES
(REGULATION OF DISTRIBUTION) ORDER, 2019**

**‘FORM-‘G’
[See clause-10(3)]**

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

RATION CARD

INSTRUCTIONS

1. If Ration Card holder fails to draw quota of specified essential commodities during the month for which entitlement is made, the same shall stand lapsed.
2. The quantum of specified essential commodities can be changed by the Government from time to time.
3. The Ration card holder shall not keep or allow keeping his ration card with the fair price shop holder as, by doing so the same can be misused.
4. The Ration card holder shall ensure the entry of the specified essential commodities in the ration card at the time of issue of the same.
5. The Ration card shall be issued in the name of eldest woman of the family above the age of 18 years and in case there is no woman above 18 years of age, the ration card may be issued in the name of head of family till a woman attains age of 18 years in that family.
6. It may be ensured that only those members of family are mentioned in the application form who are living permanently with the head of family.
7. When a card holder leaves the distribution area he/ she shall deposit the card in the office of the concerned specified authority and obtain necessary surrender certificate to facilitate issuance of card at the new place.
8. It is necessary to intimate about the increase or decrease in the number of family members at once to the specified authority who has issued the Ration card.
9. The only person whose name is entered in the ration card is entitled to draw the specified essential commodities unless permitted otherwise and the card is valid only for the persons mentioned therein.
10. Ration card shall not be used as a document of identity and proof of residence.

Note.- Non-compliance of the above instructions may render the fair price shop holder/card holder liable for action under the Essential Commodities Act and Departmental Orders/ Rules.

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT**

Card No.....

Ration card

Category : APL/ AHH/ PHH (BPL, ABPL).....

City/ Town/Panchayat

1. Name of the Village & Ward
2. Code No..... Serial No.
3. Name of the Head of the family
4. Father / Husband
5. Full address
.....
6.

Sr. No .	Number of family Member	Adults	Children	Infants	Total Member
-----	-----	-----	-----	-----	-----
7. Gas Consumer No..... Single / Double Cylinder.....
8. Date from which the card is valid for drawing specified essential commodities

***Signature or Thumb
Impression of
Ration cardholder.***

Signature of the Specified Authority with seal.

Dated

Name of the Fair Price Shop
Code No. of the Fair Price Shop.....
Registration No. of Card

***Signature with seal of the
Fair Price Shop holder.***

9. Particulars of Family members:-

Sl. No.	Name	Age	Relationship with the Head of family	Aadhar No.
1.				
2.				

10,

Dated.....

[illegible]

**THE HIMACHAL PRADESH SPECIFIED ESSENTIAL COMMODITIES
(REGULATION OF DISTRIBUTION) ORDER, 2019**

‘FORM-‘G/1’

**[See clause-10(5)]
Temporary Home Less**

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT**

(Ration Card only for Kerosene Oil)

Town City/Panchayat

1. Ward / Name of the village.....
2. Code No..... Serial No.....
3. Name of the Head of family
Father / Husband
4. Full address
.....

5.

Number of family members	Adults	Children	Infants	Total Member
-----	-----	-----	-----	-----
6. Status of LPG (Please tick whichever is applicable)..... SBC/ DBC/No LPG.
7. This card is valid from (date)..... to (date)..... only for kerosene oil.

***Signature or thumb Impression of
Recipient of Ration card holder.***

***Signature with seal of the
Distribution Officer.***

Dated.....

Only for Kerosene Oil

Name of the Depot / Fair Price Shop

Code No. of the DepotRegistration No. of Card

*Signature with seal of the
Fair Price Shop holder.*

Month	Date	Quantity	Price	Signature of Fair Price Shop Holder
January				
February				
March				
April				
May				
June				
July				
August				
September				

October

November

December

**The HIMACHAL PRADESH SPECIFIED ESSENTIAL COMMODITIES
(REGULATION OF DISTRIBUTION) ORDER, 2019**

‘FORM-‘H’

[See clause 10 (10)]

Ration card register to be maintained by the specified Authority

Sr. No. of Ration Card	Name of Card Holder	Address	Number of Units		Total	Code No. if any	Date of issue of Ration Card	Signature of specifi- ed authori- ty	Remarks if any.	Aadhar No.	Contact No.
			Adult	Children							
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12

**The Himachal Pradesh Specified Essential Commodities (Regulation of Distribution)
Order, 2019**

Daily sale Register to be maintained by wholesaler

Date	Name of Specified Essential Commodity	Opening Balance		Quantity Received			Total		Quantity Sold		Closing Balance		Remarks if any
		Bags.	Weight	Bill. No. & Date	Bags.	Weight	Bags.	Weight	Bags.	Weight	Bags.	Weight	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

THE HIMACHAL PRADESH SPECIFIED ESSENTIAL COMMODITIES (REGULATION OF DISTRIBUTION) ORDER, 2019

[See condition No. 4 (i) of Form-B]

Daily sale Register to be maintained by wholesaler

(Figures in Quintals, Kilograms & Grams).

Date	Name of the Wholesaler	Authority which issued permit/letter			Quantity Authorized	Quantity Issued/ Sold	Rate	Amount Charged	Signature of the person concerned	Remarks if any
		Designation	Permits/ letter No. & Date	Name of the Specified Essential Commodity.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**THE HIMACHAL PRADESH SPECIFIED ESSENTIAL COMMODITIES
(REGULATION OF DISTRIBUTION) ORDER, 2019**

[See condition 5 of form-B & condition 8 of form-C]

Monthly statement showing the receipt and sale of specified essential commodities for the month ending.....

(Figures in Quintals, Kilograms & Grams).

Sr. No.	Name of the Specified Essential Commodities	Opening Balance	Quantity received during the month	Total	Quantity sold during the month	Closing balance	Remarks if any
1	2	3	4	5	6	7	8

*Signature of the Wholesaler/Fair
Price Shop Holders.*

ANNEXURE-IV

**THE HIMACHAL PRADESH SPECIFIED ESSENTIAL COMMODITIES
(REGULATION OF DISTRIBUTION) ORDER, 2019**

[See clause 7 (4) form-D]

Daily Sale / Stock Register to be maintained by Fair Price Shop Holder.

(Figures in Quintals, Kilograms & Grams/ Liters).

Sr. No.	Da te	Name of Specified Essential Commodities	Opening Balance	Quantity received	Total (4+5)	Quantity Sold	Closing Balance	Remar ks, if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Signature of the Wholesaler/Fair
Price Shop Holders.*

By order,

**Onkar Chand Sharma
Principal Secretary(FCS&CA) to
the GoHP**

fgekpy in'k ljdkj
[kk] ukxfjd vkifri ,o miHkkDrk ekey foHkkx

संख्या एफ.डी.एस.-(ए) 3 -9/2016

तारीख- शिमला -2

5 मार्च, 2019

vkni'k

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की राय है कि कुछ आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्यों पर आपूर्ति बनाएं रखने के लिए और साम्यापूर्ण वितरण तथा उपलब्धता उचित मूल्यों के लिए ऐसा करना आवश्यक है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत सरकार में पूर्वतर कृषि और सिंचाई मन्त्रालय (खाद्य विभाग) आदेश जी0एस0आर0-800 तारीख 9 जून, 1978 और उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति और सहकारिता विभाग) आदेश एस. ओ. 681 (ई) और 682(ई) तारीख 30 नवम्बर, 1974 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) नई दिल्ली के. जी.एस. आर. 213 (ई) तारीख 20 मार्च, 2015 द्वारा जारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश, 2015 के खण्ड 9 में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में निम्नलिखित आदेश बनाते हैं अर्थात:-

Hkkx & & vkjfiHkd

" If#k\$r uke fo%rkj vkj ikj!Hk - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. ifjHkk'kk, - (1) इस आदेश में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(d) "अधिनियम" से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955(1955 का 10) अभिप्रेत है ;

([k) "प्राधिकृत दस्तावेज" से, इस आदेश के अधीन क्रय या विक्रय अथवा भण्डारण के लिए किसी विनिर्दिष्ट वस्तु के विक्रय या वितरण के लिए जारी किया गया, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार अभिप्रेत है;

(x) "प्राधिकृत थोक विक्रेता" से, सरकार/विभाग द्वारा आबंटित विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जानी है, के उपापन, संपरिवर्तन तथा वितरण के थोक कारबार में संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत संस्था (विभाग

के साथ रजिस्ट्रीकृत) अभिप्रेत है और जिसमें उप थोक विक्रेता और मिट्टी का तेल (किरासन) का थोक विक्रेता भी सम्मिलित है;

((k) "उपभोक्ता" से, उस क्षेत्र जिसमें उपभोक्ता स्थायी या अस्थायी निवास करता है के लिए घोषित विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी राशन उपभोक्ता कार्ड के विरुद्ध उचित मूल्य की दूकानों से किसी विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु का आहरण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(0) "नियन्त्रक" से, सम्बद्ध जिला का जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले या इस आदेश के अधीन निदेशक द्वारा नियन्त्रक की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी या कर्मचारी अभिप्रेत है;

(*k) "विभाग" से, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है

(+) "उपायुक्त" से, सम्बद्ध जिले का उपायुक्त अभिप्रेत है;

(,) "निदेशक" से, निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है और इसमें/ अतिरिक्त/ संयुक्त/ उप-निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश भी सम्मिलित है;

(-) "उचित मूल्य की दुकान" से, इस आदेश के खण्ड 3 के उपबन्धों के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या से अन्यथा जैसे राज्य सहायता प्राप्त प्रणाली, मिड डे मील तथा गेहूं आधारित पौषणिक प्रोग्राम आदि के अधीन राशन कार्ड धारकों को विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के विक्रय/वितरण हेतु प्राधिकृत कोई दुकान अभिप्रेत है;

(.) "उचित मूल्य की दुकान का धारक" से, इस आदेश के खण्ड 3 के उपबन्धों के अधीन किसी विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु के बारे में प्राधिकृत फुटकर विक्रेता अभिप्रेत है;

(/) "परिवार" से, एक ही परिवार से अपजनित सभी व्यक्तियों का संयुक्त परिवार अभिप्रेत है जिसे पंचायत के परिवार रजिस्टर में स्थायी रूप से इक्कठा रहते, पूजा करते और भोजन करते दर्शित किया गया हो किन्तु उनके व्यवसाय/ कारोबार के कारण अन्यत्र आवास करने वाले व्यक्ति उपभोक्ता राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए कुटुम्ब में सम्मिलित नहीं होंगे;

(0) "प्ररूप" से, इस आदेश से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(0) "सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(1) "गृहस्थी" से, एक भवन या भवन के भाग में इक्कठा रहने वाले कुटुम्ब की इकाई जिसका सांझा निवास हो और सांझा रसोईघर बनाएं रखा हो, अभिप्रेत है;

- (2k) "संस्था" से, अस्पताल, स्वास्थ्य लाभ गृह आरोग्य निवास, आश्रम, विद्यालय भोजन व्यवस्था करने वाला छात्रावास अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत समान स्वरूप की अन्य संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, जैसी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ;
- (3k) "आदेश" से, हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु(एं) (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019 अभिप्रेत है;
- (4k) "सार्वजनिक वितरण समिति" से, विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के बारे में थोक विक्रेता या उचित मूल्य की दुकान का धारक होने के लिए किन्हीं व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय अथवा संस्थाओं के नामों पर नियुक्ति करने या सरकार सिफारिश करने के प्रयोजन हेतु, निदेशक द्वारा, अधिसूचना द्वारा गठित की गई समिति अभिप्रेत है;
- (n) "सार्वजनिक वितरण प्रणाली" से उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम (नेटवर्क) से सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट दरों तथा मापक्रमों पर राशन कार्ड धारकों को विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की वितरण प्रणाली अभिप्रेत है;
- (5k) "मात्रा" से, निदेशक द्वारा राशन कार्ड पर प्रतिमास समय-समय पर विक्रय/वितरण के लिए किसी विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु की यथा नियत मात्रा अभिप्रेत है;
- (6k) "राशन कार्ड" से, विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अभिप्राप्त करने के लिए इस आदेश के उपबन्धों के अधीन या अनुसरण में मासिक रूप में जारी किया गया या बनाया गया गृहस्थ राशन कार्ड या अन्य दस्तावेज अभिप्रेत है;
- (5k) "राशन कार्ड धारक" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राशन कार्ड जारी किया गया है;
- (7) "ग्रामीण क्षेत्र" से, पंचायत की, क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र अभिप्रेत है किन्तु किसी शहरी क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं है।
- (8k) "विनिर्दिष्ट प्राधिकारी" से, ऐसा प्राधिकारी जो उचित मूल्य की दुकान से विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अभिप्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को राशन कार्ड जारी करता है, अभिप्रेत है:—
- स्पष्टीकरण —1 शहरी और छावनी (कैनटोनमेंट) क्षेत्रों में राशन कार्ड, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी/निरीक्षक द्वारा उनकी अपनी अपनी अधिकारिता में जारी किए जायेंगे;
- स्पष्टीकरण — 2. ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड, सम्बद्ध ग्राम पंचायत, के सचिव या पंचायत सहायक द्वारा जारी किए जाएंगे;
- (Hk) "विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु" से, ऐसी आवश्यक वस्तु अभिप्रेत है, जिसे निदेशक आवश्यक अधिसूचना द्वारा राज पत्र में प्रकाशित करके इस आदेश के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु घोषित करें; और

(!k) "शहरी क्षेत्र" से राज्य में नगर निगम या नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत या नगरपालिका समिति और छावनी बोर्ड द्वारा शासित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है।

उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु इस आदेश में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में हैं।

9" 4kkd fod:rkvk vkj mfpr e:; d< n&ku d| 5kkjdk dk ikf5kdkj , kj< djuk &

(1) किसी विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु के वितरण को विनियमित करने को ध्यान में रखते हुए नियंत्रक, सार्वजनिक वितरण समिति के अनुमोदन से इस आदेश के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार/निदेशक द्वारा समय समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को थोक विक्रेता या उचित मूल्य की दुकान के धारक के रूप में प्राधिकृत कर सकेगा और, यथास्थिति, ऐसा थोक विक्रेता या उचित मूल्य की दुकान का धारक इस आदेश के उपबन्धों या तद्धीन जारी किए गए किन्हीं अन्य निर्देशों के अनुसार विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की अभिप्राप्ति और आपूर्ति करेगा:

परन्तु हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2003 के उपबन्धों के अधीन थोक विक्रेता और उचित मूल्य की दुकान के धारक को जारी किया गया प्राधिकार प्रवृत्त रहेगा और इस खण्ड के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा।

(2) निम्नलिखित लोगों को उचित मूल्य की दुकानें आबंटित नहीं की जाएगी:

(क) किसी संयुक्त परिवार के एक सदस्य से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आबंटित नहीं की जाए। संयुक्त रूप में परिवार के साथ रह रहे माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पत्नी तथा भाई को उचित मूल्य की दुकान के आबंटन के प्रयोजन हेतु संयुक्त परिवार की परिभाषा के अन्तर्गत विचार किया जाएगा।

(ख) ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रधान/ उप प्रधान/ वार्ड सदस्य, ब्लॉक पंचायत समिति/ जिला परिषद के वार्ड सदस्यों, नगर पंचायतों के वार्ड सदस्य, नगरपालिका समिति / नगर निगम के पार्षद, विधान सभा के सदस्य और उनके परिवार के सदस्यों को उनके कार्यकाल तक।

(ग) आटा मिल के स्वामी ।

(घ) आवश्यक, उन्मत्त या विकृतचित तथा अनुन्योचित दिवालिया।

(ङ.) आवेदक को प्राधिकार नहीं दिया जाएगा यदि वह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्याक 10) में अन्ततः सिद्ध दोष है।

(च) यदि आवेदक, सरकार में लाभ के पद पर है।

(3) प्राधिकार के प्रत्येक आवेदन नियंत्रक को प्ररूप "क" में, उसमें मांगी गई सही सूचना, ऐसी अन्य सूचना या दस्तावेजों जैसे अपेक्षित हो, के साथ दी जाएगी।

(4) उप-खण्ड (1) में दिया गया प्रत्येक प्राधिकार, थोक विक्रेता की दशा में प्ररूप "ख" में और उचित मूल्य की दुकान के धारक के मामले में प्ररूप "ग" में दिया जाएगा। नियंत्रक द्वारा द्विप्रतीक प्रति अपने कार्यालय में रखी जाएगी और ऐसे प्राधिकार में किया गया कोई परिवर्तन उसमें सम्यक् रूप में अभिलिखित किया जाएगा। नियंत्रक द्वारा जारी प्रत्येक प्राधिकार को उसके द्वारा विहित रजिस्टर में अभिलेख करेगा।

(5) निदेशक द्वारा इस निमित्त जारी किए गए किन्हीं सामान्य या विनिर्दिष्ट निदेशों के अधधीन, प्राधिकार जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन को निम्नलिखित पर सम्यक् ध्यान देते हुए विचार किया जाएगा,—

- (i) क्षेत्र या परिक्षेत्र जिसमें आवेदक के कारबार का परिसर स्थित है, में प्राधिकृत थोक विक्रेता या उचित मूल्य की दुकान के धारक की आवश्यकता ;
- (ii) विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु(ओं) के उचित और सुरक्षित भण्डारण और विक्रय के लिए परिसर के आकार की उपयुक्तता;
- (iii) आवश्यक वस्तुओं और अन्य कारबार , यदि कोई हो में आवेदक के व्यवहार के पूर्व अभिलेख को ध्यान में रखते हुए उपयुक्तता, जो उसके या उसके निकट सम्बन्धियों द्वारा उसी परिसर या उसी क्षेत्र या परिक्षेत्र अथवा हिमाचल प्रदेश राज्य में कहीं और चलाया जा रहा हो/रहा है;
- (iv) यथास्थिति, थोक विक्रेता या उचित मूल्य की दुकान के धारक के कृत्यों का पालन करने में आवेदक की वित्तीय स्थिति और क्षमता ; और
- (v) इस आदेश के अधीन प्राधिकार प्रदान करने के लिए सुसंगत समझा गया कोई और अन्य तथ्य।

(6) प्राधिकार के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसे ऐसा प्राधिकार जारी किए जाने से पूर्व नीचे यथाविनिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूति में नीचे विनिर्दिष्ट प्राधिकार फीस पदनाम से नियन्त्रक के पक्ष में, उस रीति में, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए सम्यक् रूप से गिरवी रखवाकर एफ.डी.आर. के रूप में जमा करेगा।

	प्रतिभूति	प्रतिवर्ष प्राधिकार फीस
(i) थोकविक्रेता	₹ 20,000.00	₹ 2500.00
(ii) उचित (कीमत) मूल्य की दुकान का धारक	₹ 4000.00	₹ 700.00

7. प्राधिकार एक कलैण्डर वर्ष के लिए जारी किया जाएगा और यह उस वर्ष, जिसके लिए इसे जारी किया गया है, के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगा।
8. कारबार के प्रत्येक स्थान के लिए एक पृथक प्राधिकार आवश्यक होगा। यह, उचित मूल्य की दुकान की किसी शाखा / विस्तारण पटल (काउंटर) के मामले में भी लागू होगा।
9. यदि कोई प्राधिकार, विरूपित, गुम या अन्यथा नष्ट हो जाता है, तो नियन्त्रक, यथास्थिति, थोक विक्रेता या उचित मूल्य की दुकान के धारक के आवेदन पर, थोक विक्रेता के लिए 1500/-रुपए और उचित मूल्य की दुकान के धारक के लिए 500/-रुपए की फीस, सम्यक् रूप से सरकारी खजाने में जमा किए जाने पर, प्राधिकार की दूसरी प्रति जारी करेगा।
- 10 नियन्त्रक, ऐसी जाँच, जैसी वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, चाहे थोक विक्रेता या उचित मूल्य की दुकान के धारक के निवेदन पर या स्वप्रेरणा से, गोदाम, कारबार के स्थान संचालन क्षेत्र और भागीदारों के नाम आदि से संबधित प्राधिकार की प्रविष्टियां जोड़ सकेगा, संशोधित कर सकेगा, परिवर्तित कर सकेगा या उन्हें हटा सकेगा।
11. प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन प्राधिकार के अवसान से पूर्व, उपखण्ड 6 में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकार नवीकरण फीस के साथ, नियन्त्रक को प्रस्तुत किया जाएगा:

परन्तु नियन्त्रक, नीचे यथा विहित विलम्ब फीस के संदाय पर आवेदन को 31 मार्च तक ग्रहण कर सकेगा।

	थोक विक्रेता / उप थोक विक्रेता	फुटकर / उचित मूल्य की दुकान का धारक
(i) प्रथम पखवाड़े के लिए	₹ 100 /-	₹ 50 /-
(ii) द्वितीय पखवाड़े के लिए	₹ 150 /-	₹ 75 /-
(iii) प्रत्येक पश्चात्वर्ती पखवाड़े के लिए	₹ 200 /-	₹ 100 /-

परन्तु यह और कि यदि प्राधिकार को, विधिमान्यता की अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास के भीतर, अर्थात् वर्ष के 31 मार्च तक नवीकृत करवाया जाता है, तो वह रद्द हो जाएगा और प्रतिभूति भी सरकार को समपहृत हो जाएगी। प्राधिकार का रद्दकरण और प्राधिकार को नवीकृत न करने के बदले में प्रतिभूति का समपहरण, सामान्य प्राधिकार फीस जमा करने के पश्चात् प्राधिकार के पुनः प्रचलन के लिए थोक विक्रेता / उचित मूल्य की दुकान के धारक के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। तथापि, उचित मूल्य की दुकान के धारक / थोक विक्रेता को जारी किया गया प्राधिकार रद्द हो जाएगा, यदि उचित मूल्य की दुकान का धारक / थोक विक्रेता दो से अधिक अवसरों पर प्राधिकार नवीकृत करने में असफल रहता है:

परन्तु यह और कि यदि प्राधिकृत थोक विक्रेता / उचित मूल्य की दुकान का धारक, प्राधिकार की विधिमान्यता के दौरान अपना कारबार बंद कर देता है तो उसे जमा की

गई प्रतिभूति के प्रतिदाय का दावा करने हेतु, अपने प्राधिकार को नियन्त्रक के पास अभ्यर्पित करना पड़ेगा ।

(12) उप-खण्ड (6) में विनिर्दिष्ट प्राधिकार फीस जमा करने पर प्राधिकार को एक ही बार में तीन वर्ष तक के लिए नवीकृत किया जा सकेगा ।

Hkkx&II

विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं का वितरण और आपूर्ति

>" ikf5k?r 4kkd fodrk @kjk ifr! Aink; BC&

प्राधिकृत थोक विक्रेता को यह आबद्धकर होगा कि वह उप-मण्डल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार/ नायब तहसीलदार या निरीक्षक (खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों) द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित उचित मूल्य की दुकान के धारक को, उसके हस्ताक्षर के विरुद्ध, अपनी या किसी विधिमान्य प्राधिकृत दस्तावेज के विरुद्ध और ऐसी मात्रा में तथा ऐसी कीमत पर जैसी इस आदेश के उपबंधों के अनुसार या अधीन इस निमित्त सरकार या निदेशक या नियन्त्रक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, केवल विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करवाएगा ।

D" ikf5k?r fodrk dk vun!k- (1) प्राधिकृत थोक विक्रेता ऐसे प्ररूप और रजिस्ट्रर बनाएं रखेगा तथा ऐसी आवधिक विवरणिया तथा विवरण (कथन) प्रस्तुत करेगा जैसे निदेशक/ नियन्त्रक द्वारा अपेक्षित/ मांगे गए हो और ऐसे सामान्य या विशेष निर्देशों का अनुपालन करेगा जो सरकार या निदेशक या नियन्त्रक द्वारा समय समय पर जारी किए जाए ।

(2) प्राधिकृत थोकविक्रेता, उसे जारी किए गए प्राधिकार में वर्णित समस्त अनुदेशों का पालन करेगा/ करेगी ।

(3) प्राधिकृत थोकविक्रेता किसी भी प्रकार के अपयोजन या विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के प्रतिस्थापन में आसक्त नहीं होगा ।

E" mfpr e:; d< n&ku 5kkjd @kjk vkifr!-उचित मूल्य की दुकान का कोई भी धारक, किसी व्यक्ति को उसके पास रजिस्ट्रीकृत राशन कार्डों या सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्राधिकृत दस्तावेज पर और इस निमित्त इस आदेश के उपबंधों के अनुसार समय-समय पर सरकार या निदेशक या नियन्त्रक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी मात्रा और कीमत के सिवाय, विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं को न तो बेचेगा या न ही बेचने को सहमत होगा या न ही पूर्ति करेगा या न ही आपूर्ति करने के लिए सहमत होगा या न ही विक्रय या पूर्ति कारित करवाएगा ।

F" mfpr e:; d< n&ku 5kkjd dk vun!k & (1) उचित मूल्य की दुकान का धारक, सम्बद्ध विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता में दुकान स्थित है, द्वारा जारी किए गए राशन कार्डों को रजिस्टर करेगा । तथापि, वह अन्य क्षेत्रों के कार्डों को भी रजिस्टर कर सकेगा, यदि नियन्त्रक द्वारा ऐसा करने के लिए किसी आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्टतः अनुज्ञा दी गई हो । तथापि, वह राशन कार्डों को रजिस्टर नहीं करेगा, यदि उसके पास रजिस्ट्रीकृत इकाइयों (यूनिटज) की कुल संख्या अधिकतम इकाइयों (यूनिटज) यदि, इस निमित्त नियन्त्रक द्वारा ऐसी अधिकतम सीमा विनिर्दिष्ट की हो से अधिक हो गई हो:

परन्तु नियन्त्रक, आदेश द्वारा, किसी उचित मूल्य की दुकान को, इस खण्ड के अधीन अधिरोपित निर्बंधन से, छूट दे सकेगा ।

- (2) उचित मूल्य की दुकान का धारक विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय केवल उसके पास रजिस्ट्रीकृत राशन कार्डों पर या इस आदेश के उपबंधों के अनुसार और अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्राधिकृत दस्तावेज पर ही करेगा।
- (3) उचित मूल्य की दुकान का धारक राशन कार्ड धारक को विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के अधधीन, सरकार द्वारा समय-समय पर नियत पैमानों और दरों के अनुसार प्रदाय (पूर्ति) करेगा। उचित मूल्य की दुकान का धारक, राशन कार्ड में दर्शित समुचित स्थान पर इस प्रभाव की ठीक और सही प्रविष्टियां करेगा।
- (4) उचित मूल्य की दुकान का धारक प्ररूप "घ" में दैनिक स्टाक रजिस्टर बनाएगा और उपभोक्ता को दी गई विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के प्रमाणस्वरूप सरकार या निदेशक या सम्बद्ध नियन्त्रक द्वारा विहित कैश मेमों भी जारी करेगा और कैश मेमों पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। राशन कार्ड धारक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित ऐसे प्रत्येक कैश मेमों का प्रतिपण, कार्बन प्रति, दूसरी प्रति (अनुलिपि) सदैव उचित मूल्य की दुकान धारक द्वारा प्रतिधारित की जाएगी।
- (5) लक्षित लोक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए गए आबंटनों का किसी अन्य प्रयोजन हेतु अपयोजन नहीं किया जाएगा।
- (6) निदेशक या नियन्त्रक द्वारा विक्रय रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर और राशन कार्ड रजिस्टर और उचित मूल्य की दुकान को मानीटर करने की उचित प्रणाली का आरूप विहित किया जाएगा।
- (7) राशन कार्ड धारक, अपनी हकदारी के अनुसार, उचित मूल्य की दुकान से, विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं को लेने का हकदार होगा। उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं, जिसके लिए वह हकदार है, की सम्पूर्ण मात्रा को एक ही बार में उठा लें। तथापि, कार्ड धारक उस मास के दौरान, विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं, जिसके लिए उसकी हकदारी है, का कोटा लेने में, यदि असफल रहता है तो वह व्यपगत हो जाएगा।
- (8) उचित मूल्य की दुकान का धारक, उसके पास रजिस्ट्रीकृत राशन कार्डों के आधार पर, विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए, निदेशक या नियन्त्रक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में समय-समय पर मांग पत्र प्रस्तुत करेगा।
- (9) उचित मूल्य की दुकान का धारक, नियन्त्रक या किसी अन्य पदधारी, जो निरीक्षक, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा उस को जारी किए गए प्राधिकृत दस्तावेजों के आधार पर प्राधिकृत थोक विक्रेता से विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति अभिप्राप्त करने का हकदार होगा।
- (10) उचित मूल्य की दुकान का धारक, प्ररूप - "ड." के अनुसार राशन कार्ड रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर बनाए रखेगा। वह, अपने रजिस्टर पर राशन कार्डों का रजिस्ट्रीकरण बनाए रखेगा। वह, राशन कार्ड धारक या उसके कुटुंब के सदस्यों का सम्पूर्ण डाक पता, मोबाइल दूरभाष नम्बर, यदि उपलब्ध हो, या लैंडलाइन दूरभाष नम्बर अभिप्राप्त करेगा तथा उसके हस्ताक्षर या अंगूठा निशान या कुटुंब के सदस्य के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान भी इस प्रयोजन के लिए दर्शित स्थान पर अभिप्राप्त करेगा। वह, राशन कार्ड धारक और उसके कुटुंब के सदस्यों के आधार नम्बर और बैंक खाता संख्या भी अभिप्राप्त करेगा। वह राशन कार्ड पर रजिस्ट्रीकरण की क्रम संख्या भी लगाएगा।
- (11) उचित मूल्य की दुकान का धारक, विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की रसीद, विक्रय, आरम्भिक और अंत अतिशेष और राशन कार्डों का रजिस्ट्रीकरण गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय परिवारों और प्राथमिकता परिवारों के लिए पृथक्कृत: अन्य प्राधिकृत दस्तावेज, जैसे नियन्त्रक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, का समुचित अभिलेख बनाए रखेगा।

- (12) उचित मूल्य की दुकान का धारक, रजिस्ट्रीकृत राशन कार्डों का प्रवर्गवार और इकाई (यूनिट) बार ब्यौरे का मासिक विवरण (कथन), प्रत्येक मास नियन्त्रक को भेजेगा।
- (13) प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान का धारक, प्राधिकृत दस्तावेजों से सम्बन्धित ऐसे अभिलेख ऐसी रीति में रखेगा, जैसी सरकार या निदेशक या नियन्त्रक द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएं।
- (14) उचित मूल्य की दुकान का धारक विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के क्रय, विक्रय, सुरक्षित भण्डारकरण, उसके लेखे बनाए रखने और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से सम्बन्धित सरकार या निदेशक या नियन्त्रक द्वारा समय समय पर लिखित में दिए गए सभी सामान्य या विशेष निदेशों का पालन करेगा।
- (15) उचित मूल्य की दुकान का धारक, किसी राशन कार्ड को, इस तथ्य को दृष्टि में लाए बिना कि ऐसा राशन कार्ड उसके पास रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, अपने कब्जे में नहीं रखेगा।
- (16) विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति पर, उचित मूल्य की दुकान का धारक, मास के दौरान इस प्रकार प्राप्त और विक्रीत वस्तुओं की बाबत, ब्यौरे सतर्कता समिति को उपलब्ध करवाएगा।
- (17) उचित मूल्य की दुकान का धारक, केवल कार्ड धारक या किन्हीं अन्य सदस्यों, जिनका नाम राशन कार्ड में दर्ज है, को ही विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करेगा; परन्तु यदि राशन कार्ड धारक या उसके सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक है या निस्सहाय है तो विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं जिसके लिए वह हकदार है, उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दी जा सकेगी।
- (18) उचित मूल्य की दुकान का धारक लक्षित लोक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिए जाने वाले खाद्यानों के नमूने (सैंपल) किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
- G ikf5kdkj dk fuyHul jJdj2k vk\$ ifrHkfr dk leigj2k :-** (1) नियन्त्रक, उसकी अधिकारिता के भीतर किसी भी समय:-
- उस व्यक्ति के अनुरोध पर जिसे इस आदेश के अधीन प्राधिकार जारी किया जा चुका है;
 - इस आदेश के किन्हीं उपबन्धों या तद्धीन इस निमित्त समय-समय पर जारी निदेशों या प्राधिकार के किसी निबंधन या शर्त या तद्धीन जारी किए गए किन्हीं निदेशों के उल्लंघन पर उसके विरुद्ध की जाने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना: इस आदेश के खण्ड -3 के अधीन, ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जो आवश्यक हो, जारी किए गए प्राधिकार को संशोधित, निलंबित या रद्द कर सकेगा।
- (2) इस आदेश के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन की बाबत उप खण्ड (ii) के अधीन की जाने वाली किसी कार्रवाई पर प्रभाव डाले बिना, नियन्त्रक अपनी अधिकारिता के भीतर इस आदेश के खण्ड 3 के उप-खण्ड (6) के अधीन जमा की गई प्रतिभूति को पूर्णतः या किसी भाग को समपहत कर सकेगा या अपयोजित विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं, यदि कोई हो, के बाजार मूल्य और नियन्त्रित मूल्य के मध्य अन्तरीय लागत की दुगुनी रकम वसूल कर सकेगा और तदुपरि प्राधिकृत थोक विक्रेता या उचित मूल्य की दुकान का धारक, ऐसी समयनिधि के भीतर जैसी नियन्त्रक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, रकम तुरन्त जमा करेगा।
- (3) नियन्त्रक, विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु की लागत को ऐसी विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु के निर्गम मूल्य के समान वसूल करेगा यदि निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि यह स्टॉक रजिस्टर में दर्शाए गए अतिशेष से अधिक है और इस प्रकार अधिक (अतिरिक्त) पाई गई ऐसी मात्रा को स्टॉक रजिस्टर के लेखा में भी लिया जाएगा तथा पश्चातवर्ती मास के लिए उचित मूल्य की दुकान का आवंटन तदनुसार ही किया जाएगा।

(4) नियन्त्रक, उचित मूल्य की दुकान के धारक या प्राधिकृत थोक विक्रेता द्वारा, किसी विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु के सम्बन्ध में किए गए अधिक प्रभार के कारण, किसी अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, वसूल करेगा:

परन्तु उपखण्ड (1) उप खण्ड (2) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व नियन्त्रक, सम्बद्ध पक्षकार को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर प्रदान करेगा:

परन्तु यह और कि जहां प्राधिकृत थोक विक्रेता या उचित मूल्य की दुकान के धारक के विरुद्ध कोई जांच लम्बित है और प्राधिकार के निलम्बन के लिए यह आवश्यक समझा गया है, तो सम्बद्ध प्राधिकारी का समाधान हो जाने पर, प्राधिकार को, छह मास से अनधिक अवधि के लिए निलम्बित करेगा:

परन्तु यह और भी कि प्राधिकार का निलम्बन छह मास से अधिक हो सकेगा यदि मामला किसी न्यायालय में लम्बित है।

(5) जहां कोई प्राधिकृत थोक-विक्रेता या उचित मूल्य की दुकान के धारक को न्यायालय द्वारा इस आदेश या अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी किसी अन्य आदेश के उल्लंघन के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो तो नियन्त्रक, लिखित में आदेश द्वारा उसके प्राधिकार को रद्द करेगा:

परन्तु जहां ऐसी दोष सिद्धि अपील या पुनरीक्षण में निरस्त कर दी गई है तो नियन्त्रक, उस व्यक्ति से, जिसका प्राधिकार रद्द किया जा चुका है, आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे व्यक्ति को पुनः प्राधिकार जारी करेगा।

K ikf5kdkj dk \$k; o lkuC – (1) इस आदेश में किसी बात के होते हुए भी नियन्त्रक, सार्वजनिक वितरण समिति के अनुमोदन से, किसी भी समय उस व्यक्ति(यों) को जिसे (जिन्हें) इस आदेश के अधीन प्राधिकार जारी किया गया है, को लिखित में एक मास का नोटिस देकर प्राधिकार का पर्यवसान कर सकेगा और तब ऐसे नोटिस की अवधि के अवसान पर प्राधिकार प्रभावी नहीं रहेगा।

(2) नियन्त्रक को लिखित में एक मास का नोटिस देकर प्राधिकार का त्याजन करना इस आदेश के अधीन जारी किए गए प्राधिकार के धारक व्यक्ति की इच्छा पर होगा और तब नियन्त्रक से ऐसे व्यक्ति को उसके प्राधिकार के पर्यवसान की सूचना प्राप्त होने पर, प्राधिकार प्रभावी नहीं रहेगा:

परन्तु प्राधिकार धारक व्यक्ति का दायित्व तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक विनिर्दिष्ट वस्तुओं का स्टॉक और अधिकृत दस्तावेजों का अभिलेख उससे नियन्त्रक द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा नहीं ले लिया जाता है।

Hkkx&

ikf5kdlr n%rko,

M jk'ku dk)! vfhkik\$r dju d fy, ifd; k :— (1) राशन कार्ड परिवार की 18 साल की आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला के नाम से जारी किया जाएगा और यदि 18 वर्ष की आयु से अधिक कोई महिला न हो तो तब तक राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम से जारी किया जा सकेगा जब तक परिवार की कोई महिला 18 वर्ष आयु प्राप्त नहीं कर लेती हो।

(2) कोई भारतीय नागरिक या व्यक्ति, जो शरणार्थी के रूप में स्थायी रूप से भारत में निवास कर रहा हो या स्थायी रूप से रहने के लिए आशयित हो राशन कार्ड जारी करने के लिए

प्ररूप –‘च’ पर विनिर्दिष्ट सम्बद्ध प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। राशन कार्ड अभिप्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति को विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्ररूप –‘च’ मुफ्त में प्रदान किया जाएगा।

(3) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी प्ररूप–‘छ’ पर राशन कार्ड जारी करने से पूर्व ऐसी जांच करेगी या करवाएगी जैसी यह प्ररूप –‘च’ में आवेदक द्वारा दी गई सूचना के सत्यापन के लिए उचित समझे:

परन्तु तब तक कोई राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक द्वारा प्ररूप –‘च’ पर प्रस्तुत की गई सूचना को, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर में अभिलिखित प्रविष्टियों के आधार पर सम्बद्ध पंचायत के सचिव/ पंचायत सहायक द्वारा और स्थानीय निकाय के सम्बद्ध पार्षद/ वार्ड सदस्य या कार्यकारी अधिकारी अथवा सचिव द्वारा उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर या सम्बद्ध नियन्त्रक द्वारा समय समय पर प्राधिकृत किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा, सत्यापित न कर दिया गया हो:

परन्तु यह और कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक स्थान से किसी अन्य स्थान को चला जाता है और निवास के नए स्थान पर राशन कार्ड के लिए आवेदन करने का इच्छुक है तो उस दशा में उसे उस क्षेत्र, जहां से वह गया है, के सक्षम / विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जारी किया गया अभ्यर्पण/ विलोपन प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कार्ड धारकों के सदस्यों के नाम उसी स्थान या अन्यथा से हटाया जाना है तो ऐसे सदस्य की लिखित में सहमती अनिवार्य होगी:

परन्तु यह और भी कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवेदक को उसके आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से सम्भवतः 30(तीस) दिनों के भीतर राशन कार्ड जारी किया जाएगा, ऐसा न होने पर आवेदक, ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) और शहरी क्षेत्रों में जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को, राशन कार्ड जारी न किए जाने हेतु आवेदन दायर करेगा तथा यथास्थिति, सम्बन्धित उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) /जिला नियन्त्रक, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले आवेदन की प्राप्ति से 15 (पंद्रह) दिन के भीतर, तथ्यों को सत्यापित करने के पश्चात् आदेश के उपबन्धों के अनुसार राशन कार्ड जारी करने हेतु सम्बद्ध विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को निदेशित कर सकेगा।

(4) राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास, उसे ऐसा कार्ड जारी किए जाने से पूर्व, पच्चीस रुपए की फीस जमा कराएगा। विनिर्दिष्ट प्राधिकारी इस खण्ड के अधीन संग्रहित फीस को उचित लेखा शीर्ष के अधीन सरकारी कोष में जमा कराएगा:

परन्तु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन चयनित अन्त्योदय परिवार और प्राथमिकतः परिवारों को ऐसी राशन कार्ड फीस से छूट प्रदान की जाएगी।

(5) यदि विनिर्दिष्ट अधिकारी को ऐसे व्यक्ति, जिसके पास कोई स्थायी या पहचान योग्य निवास स्थान नहीं है, से राशन कार्ड जारी करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त होता है तो उसके पक्ष में खण्ड (3) के अनुसार समुचित सत्यापन के पश्चात् तथा खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट फीस की प्राप्ति पर प्ररूप–‘छ’ / 1’ में एक अस्थायी राशन कार्ड जारी किया जा सकेगा। ऐसा राशन कार्ड ‘अस्थायी’ शब्द के साथ स्टाम्पित होगा और ऐसे स्थान जहां ऐसा व्यक्ति अस्थायी रूप से रहता है, के नजदीक की उचित मूल्य की दुकान से केवल मिटटी तेल लेने के लिए ही वैध होगा। ऐसे राशन कार्ड एक समय में छह मास की अवधि से अनधिक के लिए ही जारी किए जा सकेंगे। उसी प्रकार अस्थायी राशन कार्ड प्रवासियों को एक समय में तीन मास से अनधिक अवधि के लिए जारी किए जा सकेंगे।

(6) यदि राशन कार्ड गुम, विरुपित या नष्ट हो गया है तो उसका धारक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन कर सकेगा और ऐसा आवेदन पत्र उप-खण्ड

4 में यथाविनिर्दिष्ट फीस की दुगुनी फीस के साथ होगा। विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे, डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी करेगा।

(7) राशन कार्ड में प्रविष्ट कटुम्ब के किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में राशन कार्ड का धारक या उसके कुटुंब का कोई अन्य सदस्य विनिर्दिष्ट प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता में वह रह रहा हो, को लिखित में सूचित करेगा, और राशन कार्ड से ऐसे व्यक्ति का नाम हटाने के लिए राशन कार्ड को मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ उसके सामने प्रस्तुत करेगा। कोई राशन कार्ड धारक ऐसे व्यक्ति के बारे में तथ्य को ध्यान में लाए बिना चाहे उसके राशन कार्ड से ऐसे व्यक्ति का नाम हटाया जा चुका हो ये नहीं, किसी विनिर्दिष्ट वस्तु को न लेगा या अभिप्राप्त करेगा या न लेने देगा या अभिप्राप्त करवाएगा:

परन्तु राशन कार्ड धारक की मृत्यु की दशा में, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उप खण्ड 4 में यथा विनिर्दिष्ट फीस प्रभारित करने के पश्चात नया कार्ड जारी करेगा।

(8) इस आदेश में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय राशन कार्ड अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(9) पते में परिवर्तन की दशा में संशोधन के लिए आवेदन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को दिया जाएगा जो उसके समाधान होने के पश्चात् राशन कार्ड में ऐसा संशोधन करेगा की दुकान से विनिर्दिष्ट वस्तुएं लेने को समर्थ बनाएगा।

(10) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, प्ररूप—“ज” राशन कार्ड धारक और उसके कटुम्ब के सदस्यों के नाम और पते दर्शित करने वाला एक रजिस्टर बनाएगा। वह, इस आदेश के उपबंधों के अनुपालन में फीस या अन्य जमा किए/संदत्त संदायों का उचित लेखा भी बनाएगा।

(11) कोई भी व्यक्ति, ऐसी सूचना देने पर जिसे वह जानता है या उसके मिथ्या होने के कारण का उसे विश्वास है या, यदि पहले से ही उसके कब्जे में ऐसा कार्ड है या, यदि उसकी ओर से राशन कार्ड किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है या उसके कुटुंब के किसी सदस्य का नाम अन्य राशन कार्ड में सम्मिलित है, राशन कार्ड अभिप्राप्त करने या अभिप्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

(12) कोई राशन कार्ड धारक, किसी उचित मूल्य की दुकान के धारक के पास अपना राशन कार्ड न रखेगा या न रखने को अनुज्ञात करेगा।

(13) राशन कार्ड का कोई भी धारक या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति इस आदेश के किन्हीं उपबंधों या राशन कार्ड की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा। अन्यथा, किसी अन्य कार्रवाई जो उसके विरुद्ध की जा सकेगी, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे जारी राशन कार्ड को सम्बद्ध नियन्त्रक द्वारा लिखित में आदेश द्वारा निलंबित या रद्द किया जाएगा:

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक राशन कार्ड धारक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

(14) कोई व्यक्ति उनसे भिन्न जिसने इस आदेश के उपबंधों के अनुसार किन्हीं प्राधिकृत दस्तावेजों पर उचित मूल्य की दुकान से विनिर्दिष्ट वस्तुएं प्राप्त की है, किसी विनिर्दिष्ट वस्तु पर न कब्जा करेगा न भण्डारण करेगा या नहीं रखेगा।

(15) कोई व्यक्ति, फर्म, संगम या मुद्रणालय आदि निदेशक से लिखित में आदेश के बिना राशन कार्ड के विहित प्ररूप को नहीं बनाएगा या बनवाएगा या छपवाएगा और ऐसे छपे हुए प्रत्येक राशन कार्ड का प्ररूप उसके निदेशों के अनुसार क्रमशः संख्याकित होगा।

(16) ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, मुद्रित आवेदन प्ररूप और राशन कार्डों के प्ररूपों को, नियन्त्रक से, इस खण्ड में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे प्ररूपों और राशन कार्डों की कीमत का संदाय करने पर अभिप्राप्त करेगा। ऐसे वसूल की गई राशन कार्डों की फीस में पचास प्रतिशत की राशन कार्डों को बनाने के लिए सेवा प्रभार के रूप में पंचायतों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

jk'ku dk)k ij vkifrl vfHkik\$r dju d< ifd; k— राशन कार्डों का धारक, ऐसे कार्ड पर विनिर्दिष्ट अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति अभिप्राप्त करने के लिए, सम्बद्ध स्थानीय परिक्षेत्र में क्रियाशील किसी भी उचित मूल्य की दुकान में अपने को रजिस्टर कर सकेगा:

परन्तु नियन्त्रक, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारु कार्यकरण के हित में जहां आवश्यक समझे, किसी राशनकार्ड धारक को आदेश द्वारा उसके क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट उचित मूल्य की दुकान के साथ उसे रजिस्टर करने का निर्देश दे सकेगा।

N ikf5kOr n%rko, k dk , kj< dju d< shkDr—(1) किसी विनिर्दिष्ट वस्तु(ओं) के वितरण को विनियमित करने की दृष्टि से, नियन्त्रक, साधारणतः किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या संस्था अथवा जनता को अधिकृत दस्तावेज जारी कर या जारी करवा सकेगा।

परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज तब तक किसी व्यक्ति को जारी नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा व्यक्ति या उसके कुटुम्ब का कोई वयस्क सदस्य जिसे उसकी ओर से प्राधिकृत दस्तावेज दिया गया है, हस्ताक्षर या अपना चुनाव चिन्ह या अंगूठा निशान जैसा परिदान करने वाले अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, ऐसे दस्तावेजों पर उसकी प्राप्ति के परिणामस्वरूप नहीं लगाता।

(2) नियन्त्रक किसी भी समय चाहे, उस व्यक्ति जिसे कोई प्राधिकृत दस्तावेज जारी किया जा चुका हो, के अनुरोध पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी आवश्यक समझी जाए, प्राधिकृत दस्तावेजों में कुछ जोड़, संशोधन, फेरफार, निलम्बन या रद्द कर सकेगा। जहां ऐसा कोई दस्तावेज निलम्बित या रद्द किया जाता है, तो ऐसे दस्तावेजों को कब्जे में रखने वाला व्यक्ति तुरन्त उसे नियन्त्रक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को परिदत्त करेगा।

(3) सरकार या निदेशक या नियन्त्रक या निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी किए गए किन्हीं निर्देशों के अव्यधीन इस आदेश के अधीन किसी विनिर्दिष्ट वस्तुओं, को जारी करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग जो क्षेत्र या संबद्ध क्षेत्रों में स्थाई रूप में नहीं रहता या नहीं रहना चाहता है ऐसी अवधि और ऐसी मात्रा के लिए और ऐसे स्रोत से जैसा उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए किसी ऐसी वस्तु की पूर्ति अभिप्राप्त करने के लिए विशेष अनुज्ञा पत्र जारी कर सकेगा।

9 ikf5kdlr n%rko, k d< fof5kek6; rT-(1) कोई भी व्यक्ति, निदेशक या नियन्त्रक या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना इस आदेश के उपबंधों के अधीन उसे जारी किए गए किसी प्राधिकृत दस्तावेज को या किसी ऐसे प्राधिकृत दस्तावेज पर अभिप्राप्त किसी विनिर्दिष्ट अनिवार्य वस्तु(ओं)को अन्तरित नहीं करेगा।

(2) इस आदेश के अधीन जारी किया गया प्रत्येक प्राधिकृत दस्तावेज सरकार की सम्पति होगा और वह व्यक्ति जिसे यह जारी किया गया है उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) जब इस आदेश के उल्लंघन में किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई प्राधिकृत दस्तावेज हो तो वह उसे तुरन्त सम्बन्धित विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को परिदत्त करेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना प्राधिकृत दस्तावेज में किसी प्रविष्टि में परिवर्तन नहीं करेगा। यदि प्राधिकृत दस्तावेज का धारक पाता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना प्राधिकृत दस्तावेज में इसकी वैधता या मात्रा या इस पर अभिप्राप्त विनिर्दिष्ट अनिवार्य वस्तु की किस्म को प्रभावित करने हेतु कोई परिवर्तन किया है तो ऐसे दस्तावेज का धारक तुरन्त लिखित में सम्बद्ध विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को तथ्य की रिपोर्ट करेगा।

(5) जहां किसी प्राधिकृत दस्तावेज को इस आदेश के अधीन या प्रयोजन के लिए रद्द किया जाना है तो उसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा तुरन्त रद्द किया जाएगा और तदुपरि इसका प्रवर्तन समाप्त हो जाएगा।

Hkkx&>

i:d<2k

> l puk vk& vfHky[k exoku d< PkfDr :- यथास्थिति, प्रत्येक प्राधिकृत थोक विक्रेता या उचित मूल्य की दुकान का धारक, इस निमित्त जब नियन्त्रक द्वारा साधारण या विशेष निदेशों द्वारा ऐसा अपेक्षित हो,—

(क) इस आदेश के अधीन या के प्रयोजन के लिए उसे अभ्यर्पित और दिए सभी प्राधिकृत दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों को उसे परिदत्त करेगा; और

(ख) विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं में उस द्वारा किए गए व्यौहारों और स्टॉक के सम्बन्ध में ऐसी विशिष्टियां , लेखे और सूचना प्रस्तुत करेगा जैसी अपेक्षित हो ।

स्पष्टिकरण :- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत थोक विक्रेता या उचित मूल्य की दुकान के धारक में ऐसा व्यौहारी, जिसका प्राधिकार निलम्बित या रद्द कर दिया गया है, भी सम्मिलित है।

D ikf5kdlr n%rko, k l v6; 4kk lk5ku @kjk fofufni' / vko'; d o%r&vk d< ifr' vk& forj2k dk ikf5kdlr dju d< PkfDr: —(1) इस आदेश के किसी अन्य उपबन्ध के

होते हुए भी, सरकार किसी भी विनिर्दिष्ट वस्तु की पूर्ति या व्ययन को प्राधिकृत दस्तावेजों से अन्यथा भी प्राधिकृत कर सकेगी ।

(2) निदेशक को इस आदेश में विनिर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त नियन्त्रक की समस्त शक्तियां होंगी ।

E +/C& सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे आदेश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, किसी व्यक्ति व्यक्तियों या किसी संस्थान को इस आदेश के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी और किसी भी समय किसी छूट को निलम्बित या विखण्डित कर सकेगी ।

F v i c y :-(1)नियन्त्रक या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर निम्नलिखित को अपील कर सकेगा,—

- i जहां आदेश नियन्त्रक या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है, निदेशक को ;
- ii जहां आदेश निदेशक द्वारा पारित किया गया है, सचिव(खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले)हिमाचल प्रदेश सरकार को:

परन्तु अपील प्राधिकारी, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी आवेदन में स्पष्ट कारणों जो अपीलार्थी के नियन्त्रण से बाहर थे, से तीस दिन की नियत अवधि के भीतर अपील फाईल करने से निवादित हुआ था ।

(2) प्रत्येक अपील दो प्रतियों में फाईल की जाएगी और आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है ,की एक सत्यापित प्रति इसके साथ लगाई जाएगी ।

(3) कोई भी अपील तब तक निपटाई नहीं जाएगी जब तक कि व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

(4) किसी अपील के लम्बित रहते अपील प्राधिकारी निदेश दे सकेगा कि अपील के अधीन किया गया आदेश, ऐसी अवधि के लिए जो प्राधिकारी उपखण्ड(3) के अधीन दूसरे पक्षकार को युक्तिमुक्त अवसर देने के लिए आवश्यक समझे या जब तक कि अपील का निपटारा नहीं हो जाता है, जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी नहीं होगा ।

G i c j #k2i :- (1) निदेशक, स्वप्रेरणा से या आवेदन पर, इस आदेश के उपबंधों के अधीन नियन्त्रक या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किसी मामले से सम्बन्धित अभिलेख को मंगवा सकेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि नियन्त्रक या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने,—

- i) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें या इसमें निहित नहीं है;या

ii) ऐसी अधिकारिता का तात्त्विक अनियमितता के साथ प्रयोग किया है, जो उसमें या इसके निहित नहीं है; या

iii) उसमें या इसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है,

तो वह ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

(2) इस खण्ड के अधीन ऐसा कोई आदेश, जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

K ifj l j e i o 'k dju vk fuj k2k dju l ipuk d< vi k k dju y i k k d< , k p i) rky dju vk o % r v k d k v f k x g 2 k dju d< P k f D r :- निदेशक या उपायुक्त या नियन्त्रक या कोई मजिस्ट्रेट या खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कोई अधिकारी, जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या कोई अन्य अधिकारी, यदि इस निमित्त निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत किया गया हो, उसकी अधिकारिता के भीतर इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के आशय से या उसका समाधान करने के लिए कि इस आदेश की अनुपालना की गई है और ऐसी सहायता के साथ जो वह उचित समझे,—

(क) विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के किसी स्टॉक, विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित पुस्तकों, लेखों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा और ऐसे निरीक्षण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, किसी विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विक्रय या वितरण या भण्डारण के लिए प्रयुक्त किसी परिसर में या जिसके बारे में यह विश्वास है कि वह प्रयुक्त हुआ है उस परिसर में प्रवेश कर सकेगा और यदि आवश्यक हो उसे तोड़कर खोल सकेगा या सील कर सकेगा;

(ख) किसी/ किन्ही व्यक्ति (यों) को किन्ही विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के क्रय, विक्रय, वितरण या भण्डारण से सम्बन्धित उसके कब्जे में या उसके नियन्त्रणाधीन कोई विवरण या सूचना देने या कोई दस्तावेज या वस्तु उपलब्ध करवाने हेतु निदेशित कर सकेगा और इस प्रकार अपेक्षित व्यक्ति ऐसे निर्देशों की अनुपालना करेगा।

(ग) किसी व्यक्ति को, किसी विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के क्रय, विक्रय, वितरण या भण्डारण से सम्बन्धित माना जाने वाला या सम्बन्धित दिया जाने वाला कोई लेखा या पुस्तक, लेख या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा और इस प्रकार अपेक्षित व्यक्ति ऐसे निदेशों की अनुपालना करेगा ;

(घ) लेखों की किसी भी पुस्तक और दस्तावेज को, जो उसकी राय में इस आदेश के अधीन किसी भी कार्यवाही के लिए उपयोगी और सुसंगत हो अभिगृहीत कर सकेगा और व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से ऐसे लेखा की पुस्तकों या दस्तावेजों का अभिग्रहण किया गया है,

ऐसे लेखों की पुस्तकों या दस्तावेजों की अभिरक्षा करने वाले किसी अधिकारी की उपस्थिति में उसकी प्रतियां बनाने या उससे उद्धरण (एक्स्ट्रैक्ट्स) लेने का हकदार होगा;

- (ड.) किसी विनिर्दिष्ट वस्तु के विक्रय या वितरण से सम्बन्धित किसी संव्यवहार में प्रयुक्त भार या माप जिसके बारे में विश्वास है कि वह प्रयुक्त हुआ है उस भार या माप की शुद्धता का परीक्षण कर सकेगा या परीक्षण करवा सकेगा;
- (च) ऐसे किन्हीं परिसरों में पाई गई सभी या किन्हीं विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं का वजन कर सकेगा या करवा सकेगा;
- (छ) विक्रय या विश्लेषण के लिए प्राधिकृत ऐसी विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के अनुमोदित नमूने के साथ तुलना करने के लिए विक्रय हेतु रखी गई विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के नमूने ले सकेगा या उनका लिया जाना कारित करवा सकेगा;
- (ज) किसी स्थान, परिसर के स्वामी, अधिभोगी, यान या जलयान, या पशु के प्रभारी व्यक्ति से, जहां उसका विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के किसी उपबन्ध का कोई उल्लंघन हुआ है, हो रहा है या होने वाला है, तो ऐसे उल्लंघन से सम्बन्धित संव्यवहारों को दर्शाने वाली किन्हीं लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा; और
- (झ) पैकेट, आवेस्टक या पात्रों, जिसमें ऐसा स्टॉक पाया जाता है के साथ विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक की तलाशी ले सकेगा या उसका अभिग्रहण कर सकेगा या उसे हटवा सकेगा और यदि उसके पास विश्वास का कारण है कि ऐसे स्टॉक और उसके किसी भाग की बाबत इस आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है तो वह इस आदेश के उपबन्धों के उल्लंघन में उक्त विनिर्दिष्ट वस्तु के वहन में प्रयोग किए गए पशुओं, यानों, पात्रों या अन्य वाहनों की तलाशी ले सकेगा, उनका अभिग्रहण कर सकेगा और उन्हें हटा सकेगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबन्ध यथासाध्य इस खण्ड के अधीन तलाशी और अभिग्रहण के लिए लागू होंगे।

(3) इस खण्ड के अधीन प्रयोक्तव्य शक्तियां, इस आदेश के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के सिवाय प्रयोग नहीं की जाएंगी ।

A NMB fuji u— हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तुएं (विनियमन और वितरण) आदेश, 2003 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

[खण्ड 3 (3) देखे]

सेवा में,

जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले

महोदय,

मैं/ हम उपर्युक्त आदेश के अधीन थोक विक्रेता / उचित मूल्य की दुकान के धारक रूप में नियुक्त किए जाने हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए एतद् द्वारा आवेदन करता हूं/करते हैं । अपेक्षित विशिष्टियां इसके नीचे दी गई हैं:-

1. आवेदक का पूरा नाम
2. पिता/पति का नाम
3. जन्म तिथि
4. शैक्षिक अर्हतापत्र (प्रमाण पत्र संलग्न करें);
5. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आई.आर.डी. पी.(प्रमाण पत्र संलग्न करें) ;
6. वार्ड और पंचायत सहित आवेदक के निवास का पूरा पता:
7. हैसियत जिसमें आवेदन कर रहा है/ रही है (प्रमाण पत्र संलग्न करे)
 - एकल नारी
 - विधवा, जो अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही है
 - महिला मण्डल
 - महिलाओं की सहकारिता या अन्य महिलाओं का समूह
 - शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति
 - भूतपूर्व सैनिक/बेरोजगार शिक्षित युवक जिसके परिवार का कोई सदस्य नियमित नियोजन में नहीं है
 - ग्राम पंचायत
 - सहकारिता सोसाइटी
8. आकार सहित कारबार परिसर का पूरा पता (कारबार स्थल रेखांक संलग्न किया जाए)(कथन करें कि स्वामित्व में है या किराये पर है) (सबूत संलग्न किया जाए)।
9. भण्डारण की क्षमता सहित गोदाम(मों) का पूरा पता (स्थल रेखांक संलग्न किया जाए):- (कथन करें कि स्वामित्व में है या किराए पर है)(सबूत संलग्न किया जाए)।

10. सहकारी सोसाइटी/कम्पनी/फर्म की दशा में सभी पदाधिकारियों/ निदेशकों/ भागीदारों के नाम और पते कथित करें।

नाम और पता

पदनाम/पद

- | | |
|--------|-------|
| 1..... | |
| 2..... | |
| 3..... | |
| 4..... | |

11. क्या फर्म या आवेदक या भागीदारों में से किसी भागीदार का हिमाचल प्रदेश राज्य में आटा मिल (चक्की)या किसी उचित मूल्य की दुकान अथवा थोक विक्रेता के कार्य में कोई हिस्सा है, यदि ऐसा है, तो ऐसी चक्की उचित मूल्य की दुकान या थोक विक्रेता की पूर्ण विशिष्टियां दें।

12. क्या आवेदक या फर्म या भागीदारों में से कोई, उस परिक्षेत्र जिसके लिए प्राधिकार हेतु, आवेदन किया गया है आवश्यक वस्तुओं में कोई कारबार कर रहा है, यदि ऐसा है तो भण्डार का उसमें व्यवहार की गई वस्तुओं सहित पूरा नाम व पता दें।

13. क्या आवेदक या फर्म या इसके भागीदारों में से कोई पहले से उचित मूल्य की दुकान चला रहा है या थोक विक्रेता के रूप में कार्य कर रहा है? यदि ऐसा है, तो इसके पूर्ण ब्यौरे और इसके बन्द होने के कारण दें?

14. क्या आवेदक या फर्म या इसके भागीदारों में से कोई आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 या तद्धीन जारी किए गए आदेशों के अधीन कोई अनुज्ञप्ति धारण कर रहा है। यदि ऐसा है तो उसके पूर्ण ब्यौरे दें।

15. क्या आवेदक या फर्म या इसके भागीदारों में से कोई कभी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है? यदि ऐसा है, तो पूर्ण ब्यौरे दें।

16. क्या आवेदक या फर्म के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और तद्धीन जारी किए गए किसी ओदश के अधीन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में या न्यायालय में कोई मामला या विधिक कार्यवाहियां या अभियोजन लम्बित है? यदि ऐसा है, तो प्रथम इतिला रिपोर्ट की संख्या और तारीख तथा आरोप की संक्षिप्त विशिष्टियों के साथ पुलिस

थाना जहां रजिस्ट्रीकृत है तथा कार्यवाहियों की वर्तमान स्थिति भी दी जाएं।

17 क्या आवेदक या फर्म कभी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया के रूप में या किसी बैंक द्वारा व्यतिक्रमी घोषित किए गए हैं और क्या वह/या यह कारबार जिसके लिए प्राधिकार का आवेदन किया गया है, और किसी तीसरे पक्ष की मदद तथा सहायता के बिना चलाने में सक्षम है। बैंक लेखों/जमा आदि सहित दायित्वों तथा सरिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण वर्णित किया जाएं।

18 घोषणा :

(क) मैं उपर्युक्त नाम का आवेदक एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं, मेरी व्यक्तिगत क्षमता या फर्म /सहकारी सोसाईटी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकार प्रदान करने हेतु आवेदन करने के लिए सक्षम /प्राधिकृत हूं ;

(ख) मैं, एतद् द्वारा और घोषणा करता हूं कि मद संख्या 1 से 18 के सामने दी गई विशिष्टियां मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है तथा तत्पश्चात् तथ्यों के शुद्ध कथन साबित होने की दशा में, मैं पूर्वोक्त आदेश के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किन्हीं आदेशों/निदेशों का पालन करने को वचनबद्ध हूं;

(ग) मैंने हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019 के उपबंधों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और यदि आवेदन किया गया प्राधिकार प्रदान किया जाता है तो मैं उसका पालन करने का करार करता हूं ;

(घ) मैं और वचनबद्ध हूं कि मैं खुले बाजार की ऐसी आवश्यक वस्तुओं का व्यौहार नहीं करूंगा यदि पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं में आवश्यक व्यौहार करने को प्राधिकृत किया जाता है।

तारीख.....

स्थान.....

आवेदक के हस्ताक्षर

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन)आदेश, 2019

प्ररूप "ख"

थोक विक्रेता के लिए प्राधिकार

[खण्ड 3(4) देखें]

प्राधिकार संख्या..... (अनंतरणीय)

1. हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019 के उपबन्धों और इस प्राधिकार के निबन्धनों और शर्तों के अधीन श्री.....

(नाम और पूरा पता) को उपरोक्त आदेश के खण्ड 3 के उपबन्धों के अनुसरण में एतद्वारा प्राधिकृत थोक विक्रेता नियुक्त किया जाता है।

2. (क) थोक विक्रेता निम्नलिखित स्थान पर कारबार करेगा:—

.....
.....

(ख) गोदाम की विशिष्टियां:—

(ग) विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के नाम जिसमें थोक विक्रेता व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत है :—

3. थोक विक्रेता, जो उचित मूल्य की दुकान के धारक व्यक्ति से निम्न किसी व्यक्ति को या जारी किए गए अनुज्ञा पत्र के विरुद्ध और के सिवाय, ऐसी कीमतों और ऐसी मात्रा जैसी समय-समय पर इस निमित्त सरकार या निदेशक या नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और इस आदेश द्वारा या के अधीन बनाए गए उपबन्धों के अधीन या के अनुसार के सिवाय किसी विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं की पूर्ति या प्रस्ताव या पूर्ति करने का प्रयत्न नहीं करेगा या पूर्ति नहीं करवाएगा।

4. (i) थोक विक्रेता, उपाबन्ध -1 में प्रत्येक विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं के क्रय और विक्रय के सच्चे और सही लेखे दर्शित करने वाला दैनिक स्टॉक रजिस्टर बनाएगा और उपाबन्ध -2 में दैनिक विक्रय रजिस्टर भी अनुरक्षित करेगा।

(ii) थोक विक्रेता, प्रत्येक संव्यवहार के लिए उचित मूल्य की दूकान के धारक को वेट चैक मैमों जारी करेगा।

- (iii) थोक विक्रेता, अपने लेखों को जिस दिन से वे संबंधित है, प्रत्येक दिन के लिए पूरा करेगा जब तक कि लेखों का निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी का समाधान न हो जाए कि पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित हुआ था।
- (iv) थोक विक्रेता, सरकार या निदेशक या नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यथा उपदर्शित स्रोतों से विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं को लेगा या लेने की व्यवस्था करेगा या करवाएगा।
- (v) रोलर फ्लोर मिलें/ गेहूं आटा चक्कियां, आबंटन मास के 20 तारीख तक आंबटित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शत प्रतिशत गेहूं का आटा वापस करने के लिए दायी होगी।
5. थोक विक्रेता नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उपाबंध -3 में पूर्ववर्ती मास से सम्बन्धित सूचना वाली मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ताकि वह उसके पास प्रत्येक मास की 7 तारीख तक पहुंच जाएं।
6. थोक विक्रेता इस आदेश या विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।
7. थोक विक्रेता, अपने करबार परिसर के सहजदृश्य स्थान पर बड़े अक्षरों में विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की थोक विक्रय कीमत और स्टॉक की स्थिति प्रदर्शित करेगा तथा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नियत की गई कीमत से अधिक प्रभारित नहीं करेगा।
8. प्रत्येक थोक विक्रेता, विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के क्रय, प्राप्ति और वितरण/ विक्रय का समुचित अभिलेख बनाएं रखेगा और उसे सामान्य क्रम में दस वर्ष तक या यदि न्यायालय/ विभाग में कोई विवाद लम्बित हो तो उस दशा में न्यायालय/ विभाग के अन्तिम अधिमत/ विनिश्चय तक रखे रहेगा।
9. थोक विक्रेता, लेखों या अभिलेख बनाएं रखने में प्रयोग की जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में और उसके द्वारा बनाए गए रजिस्टर के अधिप्रमाणन के बारे में उसे सरकार या निदेशक अथवा नियंत्रक द्वारा दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करेगा।
10. थोक विक्रेता, प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के धारक को अपना नाम और पता, उचित मूल्य की दुकान के धारक का नाम और पता, संव्यवहार की तारीख, क्रय की गई मात्रा, दर और प्रभारित की गई कुल रकम देते हुए बीजक की सही रसीद जारी करेगा, और इस निमित्त प्राधिकृत निरीक्षण करने वाले अधिकारियों में से किसी के निरीक्षण हेतु मांग करने पर उपलब्ध किए जाने के लिए उसकी दूसरी प्रति रखेगा।
11. थोक विक्रेता, विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षा के लिए और उससे सम्बन्धित लेखा पुस्तकों और अभिलेख की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके द्वारा भण्डार की गई विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं गणनीय रूप में रखी गई हैं

और उन्हे भूमि की नमी, वर्षा, कीटों, कृन्तकों और पक्षियों इत्यादि के कारण खराब या नुकसान नहीं हो रहा है, पर्याप्त उपाय करेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि खादें कीट-नाशक और जहरीलें रसायन, जिससे ऐसी आवश्यक वस्तुओं के सदूषण की सम्भावना हो, को उसी गोदाम जिसमें ये विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं हैं, में इनके साथ या विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक के तुरन्त सन्निधान में इनका भण्डारण नहीं करेगा।

12. थोक विक्रेता अपने कारबार के स्थान पर अपने स्टॉक तथा लेखों और उसके द्वारा किसी विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के विक्रय या विक्रय हेतु भण्डारण के लिए प्रयोग किए गए गोदामों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण करने वाले अधिकारी / कर्मचारी को सभी युक्तियुक्त समय पर सभी सुविधाएं देगा।

13. प्राधिकृत थोक विक्रेता द्वारा प्राधिकार को सहजदृश्य स्थान / कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा और जब अपेक्षित हो उसे निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

14. थोक विक्रेता, विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के क्रय, भण्डारण और विक्रय को कारबार जैसी रीति में और समय समय पर इस निमित्त जारी किए गए निर्देशों और अनुदेशों के अनुसार दक्षता पूर्ण और तत्परता से क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

15. थोक विक्रेता, नियंत्रक की लिखित अनुज्ञा के बिना प्राधिकृत परिसर से बाहर किसी आवश्यक वस्तु का भण्डारण नहीं करेगा।

16. थोक विक्रेता, उसके द्वारा किसी विनिर्दिष्ट वस्तु का भण्डार करने या अभिवहन में दुर्घटना द्वारा नुकसान होने या दुर्घटना (अभिवहन में या अन्यथा), अग्नि, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों द्वारा नष्ट होने अथवा चोरी में हानि होने की दशा में तत्परता से (किन्तु घटना के चौबीस घण्टे के भीतर) नियन्त्रक को लिखित में सूचित करेगा।

17. थोक विक्रेता, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विहित मानक की पुष्टि किए बिना किन्ही विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं का विक्रय नहीं करेगा।

18. यह प्राधिकृत थोक विक्रेता का उत्तरदायित्व होगा कि वह समय पर प्राधिकार को नवीकृत करे।

19. थोक विक्रेता से देय कोई राशि भूराजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।

तारीख.....
स्थान.....

नियन्त्रक के हस्ताक्षर और मोहर

उचित मूल्य की दुकान के धारकों के लिए प्राधिकार

[खण्ड 3 (4) देखें]

प्राधिकार संख्या (अनन्तरणीय)

1. हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन), आदेश 2019 के उपबंधों और इस प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों के अधीन श्री

को उपरोक्त आदेश के खण्ड 3 के उपबंधों के अनुसरण में एतद्वारा उचित मूल्य की दुकान का धारक नियुक्त किया जाता है।

2. (क) कारबार का स्थान

(ख) अर्न्तगत आने वाला क्षेत्र.....

(ग) गोदामों की विशिष्टियां.....

(घ) विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के नाम जिसमें उचित मूल्य की दुकान के धारक को व्यवहार करने को प्राधिकृत किया गया है।.....

3. उचित मूल्य की दुकान का धारक विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं को उसके पास रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता कार्ड या किसी अन्य प्राधिकृत दस्तावेज के सिवाय और ऐसी कीमत पर के सिवाय ऐसी मात्रा में, जैसी इस निमित्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए और इस आदेश द्वारा या के अधीन बनाए गए उपबंधों के अधीन या के अनुसार के सिवाय किसी व्यक्ति को विक्रय या विक्रय करने का करार या पूर्ति या पूर्ति करने का करार नहीं करेगा या विक्रीत या आपूर्ति नहीं करवाएगा।

4. उचित मूल्य की दुकान का धारक, अधिकारिता जिसमें दुकान स्थित है के विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए राशन कार्डों को इस आदेश के साथ संलग्न प्ररूप "ड." में रजिस्टर करेगा।

5. उचित मूल्य की दुकान का धारक, अन्य क्षेत्रों के राशन कार्डों को, यदि ऐसा करना नियन्त्रक द्वारा अपेक्षित है, भी रजिस्टर करेगा।

6. उचित मूल्य की दुकान का धारक, प्रत्येक विनिर्दिष्ट वस्तु के लिए प्ररूप "घ" में दैनिक स्टॉक रजिस्टर बनाएं रखेगा।
7. उचित मूल्य की दुकान धारक, प्रत्येक दिन, जिस दिन से वह सम्बन्धित है के लेखे पूर्ण करेगा जब तक कि निरीक्षण करने वाला कर्मचारी वृन्द का समाधान नहीं हो जाता कि वह पर्याप्त कारण द्वारा निवारित हुआ था।
8. उचित मूल्य की दुकान का धारक, नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, उपाबंध -III में पूर्ववर्ती मास से सम्बन्धित सूचना वाली मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ताकि यह प्रत्येक मास की 7 तारीख तक उसके पास पहुंच जाए।
9. उचित मूल्य की दुकान धारक, किसी अनुदेश का पालन करेगा जो उसे सरकार या निदेशक या नियंत्रक द्वारा लेखे या अभिलेख बनाए जाने में और उसके द्वारा बनाए गए रजिस्ट्रों के अधिप्रमाणन में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में दिया जाए।
10. उचित मूल्य की दुकान का धारक, अपने कारबार परिसर के सहज दृश्य स्थान पर बड़े अक्षरों में विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की कीमतें और स्टॉक स्थिति को प्रदर्शित करेगा और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नियत की गई कीमत से अधिक कीमत नहीं लेगा।
11. उचित मूल्य की दुकान का प्रत्येक धारक, विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के क्रय प्राप्ति और [वितरण/विक्रय](#) का उचित अभिलेख बनाएं रखेगा और सामान्य अनुक्रम में ऐसे अभिलेख दस वर्षों तक रखे रहेगा या यदि न्यायालय/ विभाग में कोई बाद लम्बित हो तो उस दशा में, न्यायालय / विभाग के अन्तिम अधिमत/ विनिश्चय तक रखेगा।
12. उचित मूल्य की दुकान का धारक अपने कारबार के स्थान और गोदाम पर उसके स्टॉक और लेखे का निरीक्षण करने के लिए सभी युक्तियुक्त समय पर सभी सुविधाएं देगा।
13. उचित मूल्य की दुकान का धारक, नियंत्रक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर थोक विक्रेता से विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं का परिदान लेगा या लेने की व्यवस्था करेगा या करवाएगा।
14. उचित मूल्य की दुकान का धारक, तत्समय प्रवृत्त आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित किसी अन्य विधि के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।
15. उचित मूल्य की दुकान का धारक, विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षा और उससे सम्बन्धित लेखा पुस्तकों और अभिलेख की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त उपाय करेगा कि उसके द्वारा भण्डार की गई विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं गणनीय रूप में रखी गई है और भूमि की नमी, वर्षा, कीटों कृन्तकों और पक्षियों के कारण वह खराब या उनका नुकसान न हों। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसी वस्तुओं को संदूषित करने की सम्भावना वाली खादें, कीटनाशक और जहरीले रसायन का उसी गोदाम

जिसमें वह विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं हैं, में इनके साथ या विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक के तुरन्त सन्निधान में इनका भण्डार न किया जाए।

16. उचित मूल्य की दुकान का धारक, जब अपेक्षित हो निरीक्षण करने वाले कर्मचारिवृन्द को उपलब्ध करवाए जाने के लिए निरीक्षण पुस्तिका बनाएं रखेगा और राशन कार्ड धारकों से आक्षेपों / सुझावों को आमंत्रित करने के लिए शिकायत पुस्तिका भी बनाएं रखेगा।
17. उचित मूल्य की दुकान के धारक द्वारा प्राधिकार को कारबार परिसर में किसी सहज दृश्य स्थान प्रदर्शित किया जाएगा और जब अपेक्षित हो निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
18. उचित मूल्य की दुकान का धारक विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के क्रय भण्डारण और विक्रय को कारबार जैसी रीति में और समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए निदेशों और अनुदेशों के अनुसार दक्षता पूर्ण और तत्परता से क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
19. उचित मूल्य की दुकान का धारक, नियन्त्रक की लिखित अनुज्ञा के बिना प्राधिकृत परिसर के बाहर किसी विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं का भण्डारण नहीं करेगा।
20. उचित मूल्य की दुकान का धारक, उसके द्वारा भण्डार की गई किसी विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु का दुर्घटना, अग्नि, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों या चोरी द्वारा नुकसान होने या नष्ट होने की दशा में तत्परता से नियन्त्रक को लिखित में सूचित करेगा।
21. उचित मूल्य की दुकान का धारक, विहित कार्य समय का पालन करेगा और नियन्त्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना कार्य समय के दौरान दुकान बन्द नहीं करेगा।
22. उचित मूल्य की दुकान का धारक, खुले बाजार की वस्तु जिसे हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019 के अधीन विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है में व्योहार नहीं करेगा।
23. उचित मूल्य की दुकान का धारक, उक्त आदेश के अधीन जारी केवल विधिमान्य और प्राधिकृत दस्तावेज के विरुद्ध की विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय करेगा।
24. प्राधिकार को समय रहते नवीकृत कराने का उत्तरदायित्व उचित मूल्य की दुकान के धारक का होगा।
25. उचित मूल्य की दुकान के धारक, से देय कोई राशि भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होंगी।

स्थान.....

नियन्त्रक के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख.....

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु(वितरण का विनियमन)आदेश, 2019

प्ररूप-‘घ’

[खण्ड 7(4)देखें]

उचित मूल्य की दुकान के धारक द्वारा बनाया जाने वाला दैनिक विक्रय स्टॉक रजिस्टर

तारीख	विनिर्दिष्ट वस्तु का नाम	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त मात्रा	कुल	विक्रीत मात्रा	अंतिम अतिशेष	टिप्पणी यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8

प्ररूप "ड."

[खण्ड 7 (10) देखें]

उचित मूल्य की दुकान के धारक द्वारा राशन कार्ड रजिस्ट्रीकरण के लिए

बनाएं जाने वाला रजिस्टर

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019

रजिस्ट्रीकरण की तारीख	उचित मूल्य की दुकान द्वारा आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या	उपभोक्ता कार्ड धारक का नाम	पूर्ण पता	विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आबंटित उपभोक्ता कार्ड संख्या	इकाईयों की मात्रा			राशन कार्ड धारक के हस्ताक्षर	एल.पी.जी. डी. बी.सी./एस.बी.सी. की प्रास्थिति/ कोई एल पी जी नहीं	टिप्पणी, यदि कोई हो
					व्यस्क	बालक	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार
प्ररूप-च

[खण्ड 10 (2) देखें]

राशन कार्ड के लिए आवेदन-पत्र

क्रम संख्या

तारीख.....

1. राशन कार्ड की विशिष्टियां/स्वरूप:

(i)नया (ii) द्विप्रतीक (iii)एवजी (iv)अभ्यर्पण (v)जोड़ (vi) हटाया जाना (vii)परिवर्तन

(viii) पता सत्यापन सहित सदस्य की नई खाता संख्या

(i)पंचायत/नगर	वार्ड संख्या	खंड	जिला
.....	(नगर की दशा में)	-----	-----
.....			

(ii) (क) परिवार के मुखिया का नाम (साफ अक्षरों में).....

(ख) पिता/ पति का नाम.....

2. वितरण क्षेत्र में आने की तारीख और कारण.....

3. समस्त स्रोतों से परिवार की कुल मासिक आय

(सरकारी/ अर्ध-सरकारी विभाग/निगम/बोर्डों इत्यादि कर्मचारियों के लिए भतों सहित)

4. राष्ट्रीयता

(क) भारतीय (ख) तिब्बती

5. (क) जिस पर राशन कार्ड अपेक्षित है, उसका पूरा पता

(i).....

पिन कोड.....

(ii)पते में परिवर्तन की दशा में पता.....

(ख) कार्यालय पता और पदनाम (कर्मचारी की दशा में).....

6. निवास की प्रास्थिति

(क) अपना (बिजली-बिल की प्रति संलग्न करें)

(ख) सरकारी क्षेत्र/ किराएं पर लिया गया (बिजली-बिल/ आबंटन- पत्र की प्रति संलग्न करें)

7. एल. पी.जी कनेक्शन: हाँ/ नहीं

(यदि उपलब्ध है तो उपभोक्ता संख्या.....डी.बी. सी/एस बी सी: कृपया टिक करें)

कंपनी आई ओ सी एल/ एच पी सी एल /बी पी सी एल-

8. परिवार के मुखिया (या किसी अन्य परिवार सदस्य) के बैंक ब्यौरे:

(i) बैंक नाम.....(ii) शाखा नाम.....

(iii)बचत खाता संख्या.....(iv) आई एफ एस सी कोड.....

9. जोड़े जाने वाले परिवार-सदस्यों, जिनके लिए राशन कार्ड अपेक्षित है, की विशिष्टियां:-

क्रम संख्या	परिवार सदस्यों का नाम	परिवार के मुखिया के साथ सम्बन्ध	उपजीविका	जन्म तारीख	पंहुचने की तारीख सहित, जहां से आए का स्थान व तारीख	आधार संख्या	मोबाइल संख्या
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

10. मैं एतद् द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 199 और 201 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिज्ञान करता हूं कि:-

(क) इस प्ररूप में दी गई सूचना सत्य है।

(ख) ऊपर वर्णित व्यक्तियों में से कोई भी भारत में किसी अन्य राशन कार्ड में प्रविष्ट नहीं है।

(ग) ऊपर वर्णित व्यक्तियों में से कोई सेना/ अर्ध सैनिक बलों से राशन प्राप्त नहीं कर रहा है।

(घ) ऊपर वर्णित में से कोई भी विदेश में स्थित नहीं है।

(ङ.) मेरी उपरोक्त बहनों/बेटियों में से कोई विवाहित नहीं है या शादी के बाद मेरे साथ रह रही है।

(च) उपर वर्णित कोई भी व्यक्ति किसी होस्टल/ बोर्डिंग हाउस से नियमित आहार प्राप्त नहीं कर रहा है, और उनके नाम बोर्डिंग/ होस्टल के लिए जारी किए गए राशन कार्ड में भी दर्ज नहीं किए गए हैं।

(छ) कुटुम्ब में किसी की मृत्यु/ जन्म की दशा में नामों को एक मास के भीतर सूचित किया जाएगा।

तारीख के साथ आवेदक के
हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान।

11. आवेदक कुटुम्ब का मुखिया है और मैं उसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूं ;

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त दी गई सूचना सही है।

प्रमाणन/ अधिप्रमाणित करने वाले अधिकारी
के पदनाम और मुहर के साथ हस्ताक्षर।

आवेदन भरने के लिए अनुदेश

(i) राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आवेदन स्पष्ट रूप से भरा जाना चाहिए।

(ii) अन्य राज्य/शहर/नगर/ गांव से आने वाले व्यक्तियों को पूर्व कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया रद्द करण/ अभ्यर्पण / हटाने का/ प्रवास प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए।

(iii) यदि आवेदक सरकारी कर्मचारी है तो वह आवेदन को कार्यालय के मुखिया से प्रमाणित करवाएगा / यदि व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं है तो वह अपने आवेदन को क्षेत्र के स्थानीय

निकाय के पार्षद/ वार्ड के सदस्य या कार्यकारी अधिकारी या सचिव से या नगर में राजपत्रित अधिकारी या सरकार द्वारा विशिष्टतया या साधारणतय प्राधिकृत व्यक्तियों के किसी अन्य प्रवर्ग से आवेदन को सत्यापित करवाएगा।

(iv) तिब्बती की दशा में प्ररुप को तिब्बती कल्याण सोसाइटी या तिब्बती व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

अधिकारी/ प्राधिकारी की जांच रिपोर्ट:-

आवेदक द्वारा पैरा 7 में दिए गए पते पर आज जांच पड़ताल की गई थी और आवेदन प्ररुप में वर्णित तथ्य सही पाए गए हैं।

व्यस्क	बालक	शिशु	कुल सदस्य

जांच अधिकारी के
मुहर सहित हस्ताक्षर
(निरीक्षक, खाद्य, आपूर्ति
एवं उपभोक्ता मामले/
सचिव, ग्राम पंचायत)

राशन कार्ड की कोड संख्या.....

क्रम संख्या.....

तारीख:-

राशन कार्ड बनाने वालों
अधिकारी/ कर्मचारी के
हस्ताक्षर

हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रारूप— 'छ'

[खण्ड 10(3) देखें]

jk'ku dk)l

vun'k

1. राशन कार्ड धारक यदि विनिर्दिष्ट वस्तुओं का कोटा उस मास के दौरान जिसके, लिए उसकी हकदारी है, लेने में असफल रहता है, तो उसका कोटा व्यपगत हो जाएगा।
2. विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की मात्रा सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तित की जा सकती है
3. राशन कार्ड धारक अपना राशन कार्ड उचित मूल्य की दुकान के धारक के पास नहीं रखेगा या रखने की अनुमति नहीं देगा, ऐसा करने से उसका दुरुपयोग हो सकता है।
4. राशन कार्ड धारक विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं को उसे जारी करते समय राशन कार्ड में उसकी आवश्यक प्रविष्टि सुनिश्चित करेगा।
5. राशन कार्ड 18 वर्ष की आयु से अधिक परिवार की सबसे बड़ी महिला के नाम से जारी किया जाएगा और यदि 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई महिला नहीं है तो राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम से जारी किया जा सकेगा, जब तक कि उस परिवार में कोई महिला 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती।
6. यदि सुनिश्चित किया जाए कि आवेदन में केवल वही कुटुम्ब के सदस्य वर्णित किया जाएं जो कुटुम्ब के मुखिया के साथ स्थायी रूप से रह रहे हों।
7. जब कोई कार्ड धारक वितरण क्षेत्र को छोड़ता है तो वह कार्ड को संबद्ध विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के कार्यालय में जमा करेगा और नए स्थान पर कार्ड प्राप्त करने को सुकर बनाने के लिए आवश्यक अभ्यर्पण प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करेगा।
8. विनिर्दिष्ट अधिकारी जिसने राशन कार्ड जारी किया है, को कुटुम्ब के सदस्यों की संख्या में वृद्धि व कमी के बारे में तुरन्त सूचित करना आवश्यक है
9. जब तक अन्यथा अनुज्ञात न हो केवल वही व्यक्ति, जिसका नाम राशन कार्ड में दर्ज है, विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने का हकदार है और कार्ड केवल उसमें वर्णित व्यक्तियों के लिए ही विधिमान्य है।

10. राशन कार्ड के दस्तावेज की पहचान और आवास के सबूत के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

टिप्पण:-उपरोक्त अनुदेशों की अनुपालपना से उचित मूल्य का दुकान धारक/ कार्ड धारक आवश्यक वस्तु अधिनियम और विभागीय आदेशों / नियमों के अधीन कार्रवाई के लिए राजी होगा ।

हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
कार्ड नम्बर.....

राशन कार्ड

प्रवर्ग: ए. पी.एल/ ए.एच.एच./पी.एच. एच. (बी.पी.एल., ए.वी.पी.एल)

शहर/नगर/पंचायत.....

1. गांव एवं वार्ड का नाम.....

2. कोड नम्बर.....क्रम संख्या.....

3. कुटुम्ब के मुखिया का नाम

4. पिता /पति.....

5. पूरा पता.....

6. क्रम संख्या	कुटुम्ब संख्या	वयस्क	बालक	शिशु	कुल सदस्य
.....

7. गैस उपभोक्ता नम्बर.....एकल/दो सिलेण्डर.....

8. तारीख , जिससे विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए कार्ड विधिमान्य है ।

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के
मुहर सहित हस्ताक्षर
तारीख.....

राशन कार्ड धारक
के हस्ताक्षर या
अंगूठा निशान

उचित मूल्य की दुकान का नाम.....

उचित मूल्य की दुकान की कोड संख्या.....

कार्ड की रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

उचित मूल्य दुकान धारक
के मुहर सहित हस्ताक्षर

9. कुटुम्ब के सदस्यों की विशिष्टिया :-

क्रम संख्या	नाम	आयु	कुटुम्ब के मुखिया के साथ सम्बन्ध	आधार नम्बर
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				

कुल कुटुम्ब सदस्य:-

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के
मुहर सहित हस्ताक्षर।

[illegible]

iRi&+I 1

[खण्ड 10 (5) देखें]

हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग

(केवल मिटटी तेल के लिए)

राशन कार्ड

शहर/नगर/पंचायत.....

1. वार्ड/गांव का नाम.....

2. कोड संख्याक्रम संख्या.....

3. कुटुम्ब के मुखिया का नाम.....
पिता/पति.....

4. पूरा पता.....

5.	कुटुम्ब सदस्यों की संख्या	व्यस्क	बालक	शिशु	कुल

6. ए.पी.जी. की प्रास्थिति (कृपया जो लागू है उसे ✓ करें) —एस बी सी/ डी बी सी/
एलपीजी संख्या।

7. यह कार्ड तारीख.....से.....तारीख तक केवल मिटटी तेल के लिए
विधिमान्य है।

राशन कार्ड धारक के प्राप्तकर्ता
के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान
तारीख

वितरण अधिकारी के
मुहर के साथ हस्ताक्षर

केवल मिट्टी तेल के लिए

डिपो / उचित मूल्य की दुकान का नाम

डिपो कोड संख्या.....कार्ड की रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

उचित मूल्य की दुकान के धारक के
मुहर के साथ हस्ताक्षर।

मास	तारीख	मात्रा	कीमत	उचित मूल्य की दुकान धारक धारक के हस्ताक्षर
जनवरी				
फरवरी				
मार्च				
अप्रैल				
मई				
जून				
जुलाई				
अगस्त.				
सितम्बर				
अक्टूबर				
नवम्बर				
दिसम्बर				

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019

प्ररूप-‘ज’

[खंड 10(10) देखें]

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित किया जाने वाला राशन कार्ड रजिस्टर

राशन कार्ड का क्रमांक	कार्ड धारक का नाम	पता	ईकाइयों की संख्या		कुल	कोड संख्या, यदि कोई है	राशन कार्ड जारी करने की तिथि	विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी, यदि कोई है	आधार नंबर	संपर्क नंबर
			व्यस्क	बच्चे							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

उपाबन्ध—I

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019

थोक विक्रेता द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाला रजिस्टर

तारीख	विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तु का नाम	आरंभिक अतिशेष		प्राप्त मात्रा			कुल		विक्रीत मात्रा		अंत अतिशेष		टिप्पणियां, यदि कोई हैं
		बैग	भार	बिल संख्या और तारीख	बैग	भार	बैग	भार	बैग	भार	बैग	भार	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019

(प्ररूप ख की शर्त संख्या 4(i) देखें)

थोक विक्रेता द्वारा रखा जाने वाला दैनिक विक्रय रजिस्टर

(क्विंटल, किलोग्राम और ग्राम में आंकड़ें)

[illegible]

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019

(प्ररूप 'ख' की शर्त 5 और प्ररूप 'ग' की शर्त 8 देखें)

मास के समाप्त होने वाली विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति और विक्रय दर्शाते हुए मासिक विवरण।

(क्विंटल, किलोग्राम और ग्राम में आंकड़े)

क्रमांक	विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं का नाम	प्रारंभिक शेष	मास के दौरान प्राप्त मात्रा	कुल	मास के दौरान विक्रीत मात्रा	अन्त अतिशेष	टिप्पणियां, यदि कोई है
1	2	3	4	5	6	7	8

थोक विक्रेता/ उचित मूल्य की दुकान धारक के हस्ताक्षर

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तुएं वितरण का विनियमन आदेश, 2019

(प्ररूप घ का खण्ड 7(4) देखें)

उचित मूल्य की दुकान धारक द्वारा दैनिक विक्रय/ स्टॉक रजिस्टर का बनाए रखा जाना

(क्विंटल, किलोग्राम और ग्राम में आंकड़े)

क्रमांक	तारीख	विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं का नाम	प्रारंभिक शेष	प्राप्त मात्रा	कुल 4+5	विक्रीत मात्रा	अंत अतिशेष	टिप्पणियां, यदि कोई है
1	2	3	4	5	6	7	8	9

थोक विक्रेता/ उचित मूल्य की दुकान धारक के हस्ताक्षर

आदेश द्वारा,

ओंकार चन्द शर्मा
प्रधान सचिव (खाद्य, नागरिक
आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले)
हिमाचल प्रदेश सरकार।